रजिस्टर्ड सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 1966/फाल्गुन 9, 1887

No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1966/PHALGUNA 9, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Budget 1966-67

Finance Minister's Speech

New Delhi, the 28th February 1966

Sir,

I rise to present the Budget of the Government of India for the year 1966-67. But before I do so I must pay homage to our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. His life was given, as indeed it had been lived, in the cause of our country and our people. With him he had brought a deathless spirit and in his death he has made a gift of this spirit to the nation. With this heritage we have to proceed in the service of our people, well guided by our beloved Prime Minister and companioned by our esteemed colleagues. With the Honourable Members I share this task.

2. The Budget of the Government of India is a major instrument for implementing our plans and policies. It has to be framed, therefore, in response to current economic trends as well as the long-term requirements of the economy. Recent trends in the economy have been outlined in the Economic Survey which

was presented to Parliament a few days ago. I shall, therefore, refer only to a few major developments which have a bearing on the formulation of the next year's Budget.

3. In many ways, the year that is now drawing to a close has been a very difficult one. Some of the difficulties such as the inadequate performance of the economy, the sluggishness of the capital market, the pressure on the balance of payments and the rise in the prices of essential commodities have been with us now for a number of years; and it is imperative that budgetary and, indeed, all economic policies are framed with a view to reversing these adverse trends. At the beginning of the current fiscal year, it was our hope that the substantial improvement in agricultural production and national income which had taken place in 1964-65 would make it possible to bring about a corresponding improvement in the general economic situation. This expectation, however, has not been realised as a result of a number of unforeseen adverse happenings. Apart from the unprecedented failure of monsoons during the current year, we have had to reckon with hostilities on our borders and a pause in foreign aid.

4. Honourable Members will recall that the Budget for the current year as presented in February last had forecast a small overall surplus. In the early part of the year itself, however, it became apparent that supplementary measures for raising revenues were necessary to keep to our resolve of avoiding deficit financing. Accordingly, the supplementary budget presented last August provided for additional revenue measures with a yield of over Rs. 100 crores for the rest of the current financial year. Since then, the budgetary outlook has become worse. On present indications, the current year will close with a large deficit of about Rs. 165 crores. As compared with the original Budget estimates, taken together with the effect of the supplementary budget, the revenue account is now likely to show a shortfall of Rs. 53 crores. The major deterioration of about Rs. 112 crores, however, is likely to be on capital account. I do not propose to burden Honourable Members with details of the variations that are likely to occur on the revenue and capital account in relation to our earlier estimates. I shall, therefore, mention only those changes which have some relevance for the future.

5. Under revenue, receipts from Income and Corporation taxes are now expected to show a shortfall of the order of Rs. 73 crores. On the other hand, Customs receipts are likely to be Rs. 31 crores more and Excise revenues Rs. 16 crores more; total tax receipts will, therefore, fall short by Rs. 26 crores.

6. As for revenue expenditure, Honourable Members will appreciate that the hostilities on our borders that were started last August have made it necessary to increase the outlay both on defence and border security. Revenue expenditure on defence is expected to show an increase of Rs. 20 crores over earlier estimates, grants to States for border security, Rs. 6½ crores, and payments for Police Battalions raised by the States for the Central, Rs. 1½ crores, making a total increase in expenditure under these three items of Rs. 28 crores. The net result of these and other variations on the revenue account is that the estimated revenue surplus of about Rs. 335 crores will now be reduced to Rs. 282 crores.

7. On capital account, the major developments are a shortfall of Rs. 43 crores in respect of external assistance and an addition of Rs. 100 crores by way of loan assistance to the States which will not be recovered during the current year itself. In response to the general weakness of the budgetary position of the States as well as the need to enable the States to undertake special agricultural programmes on an emergency basis, Central assistance by way of loans to the State Governments for their Plans had to be increased by Rs. 40 crores. In addition, it is estimated that loans of the order of another Rs. 45 crores will be needed over the year to strengthen the budgetary position of some of the States. An additional amount of Rs. 10 crores was given to the States as loans for the purchase and distribution of fertilizers. Loans to the States in respect of Small Savings will be larger by Rs. 5 crores. The requirements of the public sector concerns, notably, the Heavy Electricals, the Indian Oil Corporation, National Coal Development Corporation and Neyveli Lignite are also likely to be higher. On the other hand, some savings in capital expenditure on a number of heads may reasonably be expected.

8. Honourable Members will note that the net deterioration of Rs. 112 crores on capital account is really explained by two major factors, namely, additional loan assistance to the States and the shortfall in external assistance. The decline in Central tax receipts of the order of Rs. 26 crores represents less than 1½ per cent of total tax receipts. Further, considering the gravity of the situation

that we had to contend with, the increase in revenue expenditure on defence and border security has been modest. The shortfall in respect of external assistance is naturally a matter which is largely beyond our control. But for the additional liability of Rs. 100 crores by way of loan assistance to the States, not recoverable within the year itself, the overall deficit in the Centre's Budget this year would have been only Rs. 65 crores. Even so, Honourable Members, I am sure, will agree with me that the developments during the current year are a matter of concern and call for a greater degree of realism in budget-making as well as greater sense of determination in restraining expenditures, whether revenue or capital, whether Plan or non-Plan, whether by the Centre or by the States.

9. I cannot emphasise too strongly that the weakness of the financial position of the States and the tendency on the part of some of them to resort to unauthorised overdrafts from the Reserve Bank are matters which have to be remedied. The responsibility which we have assumed so far to clear these overdrafts inevitably strains the Centre's budgetary position. But this strain is bound to be reflected in turn in the Centre's ability to help the States in respect of their Plans. Unauthorised overdrafts and deficit budgeting by some States inevitably have repercussions on other States which are better able or more willing to manage their affairs on a more realistic basis. Both the Centre and the State Governments taken as a whole, therefore, have to share the responsibility for ensuring that unsatisfactory budgetary practices such as budgeting for deficit and unauthorised overdrafts from the Reserve Bank are avoided in future by adopting common standards of discipline. We propose to devote urgent attention to the problem in consultation with the Planning Commission and the State Governments to ensure that the present unsatisfactory situation in regard to financial management by some States does not continue.

10. The Budget of the Government of India for the year 1966-67 will necessarily have to be framed in the light of the budgetary developments during the current year which I have just outlined. As mentioned at the outset, it must also take into account recent trends in the economy and the continuing requirements of defence and development. The year 1966-67 is the first year of the Fourth Five Year Plan. The Budget for 1966-67, therefore, should give to the Fourth Plan as good a start as is possible consistent with the immediate need to restore a greater measure of monetary and price stability. Honourable Members will also appreciate that while it has always been our policy to restrict expenditure on defence to the maximum extent possible so as to conserve all possible sources for securing the well-being of our people, we cannot afford to take any chances with the security of the nation, devoted though we are to the cause of peace.

11. Honourable Members are already familiar with the major strands in the country's economic situation. The substantial improvement in agricultural production that took place in 1964-65 could not be sustained in the current year on account of adverse weather conditions. Although no precise estimates of agricultural output in the current year are yet available it is clear that there would be a substantial decline in the output of foodgrains as well as a reduction, in varying degrees, in the outturn of commercial crops such as jute, mesta, oilseeds, tobacco, tea and cotton. Honourable Members would, I am sure, like me to take this opportunity to express our gratitude to friendly countries and international institutions, and particularly to the Government and the people of the United States, for agreeing to supply to us substantial quantities of foodgrains at a time of need. Even with this help, however, the availability of essential foodgrains and agricultural raw materials during the coming year would be considerably restricted so that it becomes more necessary than ever to restrict the expansionary impact of Government expenditure in general.

12. The growth in industrial production has also slackened during the current year. During the first six months of 1965-66, industrial production increased by 7·3 per cent over the corresponding period of 1964-65. During the second half of the current fiscal year, however, industrial production is expected to increase by only 5 per cent so that over the year as a whole we are likely to have an increase of about 6 per cent in industrial production. Our continuing developmental efforts are showing results. Capacity in a number of industries such as those producing finished steel, aluminium, engineering goods and chemicals has been increasing steadily and can be expected to increase further in the coming year. On the other hand, the shortage of domestic raw materials and our inability to compensate this by larger imports has seriously contributed to the sluggishness of industrial production in recent months.

13. Superficially, it might appear that our balance of payments position has shown some improvement during the current fiscal year. In 1964-65, for example, our foreign exchange reserves declined by Rs. 72 crores. By contrast, it may well be possible for us to avoid any decline in foreign exchange reserves during 1965-66 with the help of a net drawing from the International Monetary Fund of Rs. 11·9 crores. But we have been able to stem the decline in our already depleted reserves during the current year only on the basis of a highly restrictive import policy. Fresh licensing for imports for the maintenance of the economy during the current year has been on a very restricted basis; and this is already beginning to affect industrial production despite a substantial decline in the inventories of imported materials and components within the country.

14. Over the months to come, our needs for inescapable imports of foodgrains and agricultural raw materials will increase as a result of the drought. It will also become even more difficult than before to maintain the exports of some of our agricultural products in the face of a decline in production. Difficult as the foreign exchange situation has been and, indeed, is likely to be over the months to come, I think it would be self-defeating to intensify or even to maintain the present severity of our import restrictions. What we need, indeed, is a significantly larger flow of maintenance imports over the coming months so that inventories within the country are restored to normal levels and capacity already created is utilised as fully as possible. It is only on the basis of a more liberal import policy that we can hope to give a fresh momentum to industrial production and greater regard for efficiency all round in the immediate future. Situated as we are at present, it is not possible for us to undertake a more liberal licensing of essential imports of raw materials and components without external assistance in suitable forms. But Honourable Members may be sure that it will be the constant endeavour of this Government to seek the cooperation of international institutions and friendly foreign governments to reduce the severity of our present import restrictions.

15. Over a period, however, our ability to maintain imports at satisfactory levels and to meet external obligations such as those for the repayments of debt will necessarily have to turn on our own efforts to increase our foreign exchange earnings not only by higher exports but also by way of increase in invisible receipts from tourism, remittances, shipping and the like. During the first three years of the Third Plan period, there was a rapid increase in our exports which was all the more gratifying for the reason that it took place despite the fact that the growth of production within the country failed to come up to expectations. The same momentum in exports, however, has not been maintained during the past two years; and we are confronted in the immediate future with the patent possibility that the drought might affect adversely some of our agricultural exports.

16. Fundamentally, we cannot give a continuing impetus to our export effort without increasing production and productive efficiency all round and without a check on general inflationary pressures within the country. While efforts in these directions are required on a continuing basis in the interest of higher export earnings as, indeed, of development along sound lines, we have not hesitated to adopt a number of measures to give specific incentives for promoting higher exports. The Tax Credit Certificate Schemes introduced during the year and the import entitlement schemes which have been in operation for some time are examples of the inducements we offer at present to promote higher exports. More recently we introduced the National Defence Remittance Scheme and I am happy to say that the response to the scheme has been encouraging. It is in view of this that the scheme has been extended now by another three months though a second look may have to be taken to lower the rate of benefit inherent in the scheme. We shall continue to review, modify and extend the export promotion measures that we have designed in the light of our needs and experience to make sure that they continue to provide a strong, stable and comprehensive basis for a vigorous export drive.

17. With the best will in the world and the utmost effort we are capable of, we still cannot dispense with foreign aid in the near future. We in India have always recognised that foreign aid can at best supplement our own efforts to raise both internal and external resources. No self-respecting nation can ever look upon external assistance as a substitute for reasonable effort on its own part or as a continuing feature of its economy. It is also both natural and unavoidable that the willingness of our friends abroad to assist us will depend on the confidence that we are able to inspire in our ability to grapple with our problems and to put such aid as we get to the best possible use. Only so can we hope, before long,

hopeful that the Consortium organised under the leadership of the World Bank will approach the task of mobilising external assistance for our Fourth Plan in the same constructive way as it has done in the past for our Second and more particularly for our Third Plan. At the same time, Honourable Members will appreciate that the Plan itself and our policies in support of the Plan have to be consistent not only with reasonable developmental goals but also with a greater determination on our part to rely increasingly on our own strength and resources.

18. I would like to refer, in particular, in this connection, to the need to reduce our dependence on assistance under the United States PL 480 programme for the import of foodgrains and other agricultural commodities. Honourable Members will have, I am sure, every opportunity to review the measures that we have set in motion for achieving a substantial increase in agricultural production during the Fourth Plan period. I have to emphasise in particular the fact that our budgetary position also has come to lean heavily on the import of agricultural commodities under the PL 480 programme. We cannot possibly regard a large accretion of resources to the Budget from PL 480 transactions as anything but a fortuitous counterpart of our difficulties on the agricultural front. The fact that we depend today to such a large extent on the PL 480 programme for supplementing our budgetary resources emphasises once again the need for caution in regard to governmental expenditure as well as for exploring every available opportunity for raising more internal resources.

19. More and more, the possibility of raising additional internal resources will depend on the growth and dynamism of the Indian economy itself. Whichever way we look at it, therefore, it is of paramount importance to improve the performance of the economy by raising productivity both in agriculture and industry. From this point of view, I attach importance to strengthening and maintaining the confidence of the private sector as also to the more efficient working and management of our growing family of public enterprises. It is not necessary for me to dwell at any length on the malaise of the capital market which has continued now for more than three years. While we have endeavoured to meet the genuine requirements of private industry for investment by greater assistance from financial institutions, there cannot be any doubt that the revival of the capital market and a greater flow of private savings to industry in the form of equity investment are desirable in the larger social interest. A democratic society desiring rapid development both in the public and the private sector but averse to concentration of wealth and economic power has all the more reason to make investments in the private sector as widespread as possible. Growth of private industry in such circumstances must depend more and more on the equity participation of a growing number of people drawn from different strata of society. More widespread equity participation would also facilitate stricter control on management in the private sector.

20. In the monetary field, till recently, a great deal of stringency has been felt despite the fact that the supply of money has continued to increase at a much faster rate than the supply of goods and services. Given the developments in the budgetary field to which I referred earlier, it is not surprising that money supply has increased at a faster rate than what had been envisaged. But clearly the combination of monetary stringency and a rapid increase in money supply is an indication of the fact that genuine savings have not increased adequately and that a part of these have been diverted to less desirable forms of investment. We cannot relieve monetary stringency by continuing to increase money supply at the same rapid rate as we have done over the past few years. To do so would only aggravate the inflationary situation in the country. Honourable Members are well aware that the general price level in the country has shown a significant increase of 7·6 per cent during the 12 months ending January 1966. While the Reserve Bank will continue to deploy flexibily the instruments of monetary policy in keeping with the genuine requirements of credit for achieving higher levels of production, we shall have to make sure that the expansion of credit for legitimate purposes takes place increasingly on the basis of growth of deposits and at the expense of credit expansion for less desirable social purposes. Indeed, quite apart from these considerations, it is essential to ensure that lending by the banking system is directed towards socially desirable objectives such as greater economic opportunity to a wider spectrum of producers and the prevention of undue concentration of wealth and economic influence.

21. I may now sum up the main considerations which have guided me in framing the next year's Budget in the light of the developments, to which I have referred so far. First and foremost, the Budget has to be production oriented, creating a better psychological climate for a greater regard to savings and efficiency all round. Secondly, while investments in progress have to be completed

as speedily as possible in the interest of better performance of the economy and while the claims of national security have to be met, every effort has to be made to restrain Government expenditure, particularly on general administration and on new schemes of development with a long gestation period. With the restraints just indicated it is proper to state that it is the intention of this Government to establish progress and press on with such enterprises in the public sector as are beneficient to the country. The Bokaro Steel Plant made possible with the assistance of the U.S.S.R. to whom we are grateful is one such project. I have also endeavoured to estimate revenue and capital receipts on as realistic a basis as possible.

22. Coming now to the estimates of next year's revenue expenditure, Honourable Members would appreciate that certain increases are almost automatic in the sense that they result from decisions already taken in the past or from Constitutional obligations. Transfers to States on the basis of the recommendations of the Fourth Finance Commission will, for example, lead to increase in expenditure of Rs. 77 crores under Statutory Grants and Rs. 67 crores under States' share of Union Excise duties. The cost of servicing debt will increase by Rs. 42 crores and export promotion measures and the various tax credit schemes already adopted will result in an increase in expenditure of another Rs. 24 crores. If these special items and certain self-balancing items such as PL 480 Grants, Emergency Risks Insurance Scheme and write back of Capital Grants are excluded, revenue expenditure next year will show an increase of only Rs. 46 crores. While Plan expenditure on revenue account is less by Rs. 36 crores, the increases are accounted for by Rs. 29 crores under Defence Services, Rs. 14½ crores under Police, mainly for requirements of border security, Rs. 11½ crores under grants for drought relief and Rs. 6 crores to Union Territories to cover their budgetary gaps. Administrative Services proper, excluding Police, would cost Rs. 99 crores next year as against Rs. 93 crores this year and Rs. 83 crores last year. The increase of Rs. 6 crores next year includes Rs. 2½ crores on account of next year's election expenses. The balance of the increase in revenue expenditure after excluding reductions under subsidies and aid, namely, Rs. 18 crores, occurs mostly under non-Plan developmental heads, and includes committed expenditure arising out of the completed Third Plan Schemes. Honourable Members would appreciate that the small increases I have just mentioned represent a considerable effort at economy and restraint. Most of the increases are in respect of obligatory expenditure or items like Defence expenditure and border security which in view of the circumstances that we have to contend with, cannot but be regarded as absolutely unavoidable.

23. Disregarding certain self-balancing items, next year's revenues should show an increase of Rs. 191 crores as compared to the revised estimates for the current year. Customs duties are estimated to yield Rs. 29 crores more mainly because the increases in duties already made would yield results now over a full year. Receipts from Excise duties are expected to increase by Rs. 108 crores mainly in response to larger production and clearances of petroleum products from the new refineries as also of cement and iron and steel. Considering the experience this year and the fact that the current year's receipts include a considerable portion of tax from voluntary disclosures, I have assumed that receipts from Corporation and Income taxes next year will be higher by only Rs. 20 crores.

24. Taking into account the factors that I have mentioned and a number of other miscellaneous items, total revenue receipts next year at existing levels of taxation are estimated at Rs. 2617 crores and expenditure on revenue account at Rs. 2407 crores. The revenue surplus of Rs. 210 crores next year will thus be Rs. 72 crores less than the revised estimates for the current year.

25. On capital account, I have assumed external borrowings of Rs. 460 crores as against Rs. 490 crores in the current year. This is exclusive of fresh accretion of PL 480 funds of Rs. 230 crores. Market loans have been assumed at Rs. 280 crores, about the same as in the current year. However, since repayments next year are substantially higher, the net market borrowing at Rs. 86 crores next year would be Rs. 22 crores less than that during the current year. It is, therefore, my hope that the target for market borrowing next year will be fulfilled without any significant support from the Reserve Bank over the year as a whole. Honourable Members would recall that since last October, we have floated emergency market loans on tap. In view of the consolidated market borrowing programme now proposed for the next year, the emergency loans on tap will be discontinued at the end of March.

26. On Small Savings and Annuity Deposits, I have assumed no net increase over the anticipated outcome of the current year. After taking account of receipts under repayment of loans, accretions under miscellaneous debt and deposit heads and the revenue surplus of Rs. 210 crores, the total budgetary resources in sight for total capital outlay next year, both Plan and non-Plan, would be of the order of Rs. 1835 crores.

27. I have considered whether the capital outlay next year could not be restrained within the limits set by resources in sight to which I have just referred. Unfortunately, while total capital outlay next year, excluding the notional adjustment of PL 480 loans, and loan disbursements, would show a significant reduction over the current year's level, it has not been possible to restrict the outlays within the strict limits set by resources in sight. Here again, there are a number of items such as debt repayments where an increase in outlay is unavoidable. Debt repayments next year at Rs. 314 crores would be larger by Rs. 45 crores in relation to the current year. While there is practically no increase in defence capital outlay next year, an additional provision of Rs. 20 crores is required for giving loans for the purchase and distribution of fertilizers, seeds and pesticides and of Rs. 12 crores for loans for drought relief. The provision for contribution to financial institutions will also be larger by Rs. 7½ crores.

28. In regard to Plan schemes also, expenditures on continuing schemes have to be provided for in the interest of speedy implementation, especially when foreign exchange provision for their import requirements has already been made. Some of the important increases that have been proposed in the next year relate to the Bokaro Steel Plant and the development of Atomic Energy which have been allotted Rs. 13 crores and Rs. 18 crores more respectively. On the other hand, Plan assistance to the States and the Union Territories by way of loans has been curtailed by Rs. 135 crores and capital outlay on Railways has been reduced by Rs. 59 crores. On balance, and after taking into account a number of miscellaneous items, total capital outlay including loan disbursement and debt repayment next year will amount to Rs. 1952 crores thus showing a reduction of Rs. 296 crores as compared with the current year.

29. In terms of Plan, outlay, the Centre and the States next year are expected to spend Rs. 2081 crores, that is, Rs. 144 crores less than the current year's budgeted Plan outlay of Rs. 2225 crores. The State Plans excluding that of Nagaland will account for an outlay of Rs. 926 crores and the Central Plan, an outlay of Rs. 1155 crores. Of the States' outlay, Rs. 505 crores will be financed by Central assistance and Rs. 421 crores from the resources of the States concerned. The Centre's Plan will be financed to the extent of Rs. 189 crores from the internal resources of the Railways, the Posts and Telegraphs Department, the Hindustan Steel, the Indian Oil Corporation, the Oil and Natural Gas Commission and other public sector enterprises, including the foreign exchange resources to be mobilised by them directly. For the balance of Rs. 1471 crores, inclusive of Rs. 505 crores of Central assistance to the States, Rs. 56 crores for the Union Territories and Rs. 4 crores for Nagaland, as also Rs. 143 crores for the Central Plan on Revenue account, provision has been included in the Budget.

30. The distribution of the Plan outlay under different heads takes into account the higher priority that needs to be given at the present stage to quick yielding programmes of agricultural development and to the speedy implementation of projects already in hand. To a certain extent, a comparison between the Plan outlay next year with the Plan provision for the current year is misleading in the sense that a part of the outlay included in the Plan during a Plan period becomes committed and gets treated as non-Plan outlay from the beginning of the next Plan period. Even so, there is no denying the fact that the exigencies of the budgetary situation have made it necessary to exercise the utmost caution in regard to both Plan and non-Plan expenditure during the coming year. The gap between resources in sight and total provision for expenditure in the Centre's Budget to which I will now turn has to be judged in the light of this consideration.

31. The overall budgetary position for the next year may now be summarised in conventional terms as follows. The revenue account will yield a surplus of Rs. 210 crores. The total disbursement on capital account, excluding the notional adjustment of PL 480 Loans, will be Rs. 1952 crores. This will be met, apart from the revenue surplus, by internal and external borrowings of Rs. 744 crores, collections under Small Savings of Rs. 135 crores, fresh accretion to PL 480 Funds of Rs. 230 crores, Annuity Deposits of Rs. 44 crores, repayment of loans of Rs. 370 crores and receipts under miscellaneous debt and deposit heads of Rs. 102 crores, leaving an overall deficit of Rs. 117 crores.

32. In the light of what I have said earlier, Honourable Members would have gathered that I would have very much liked to avoid a deficit by the simple method of containing revenue expenditure and capital outlays within the resources available. I have explored this possibility to the maximum. Revenue expenditure has been held down. In the case of Plan outlays, however, it is necessary to provide for what is required for securing essential and productive development, particularly in regard to agriculture and other continuing schemes. Consistent with this, Plan outlays have also been kept down to the minimum. A further reduction would retard agriculture and jeopardize the growth of the economy

33. It is, therefore, imperative for me to cover the deficit by raising additional resources. This I have sought to do by methods which cause minimum disturbance and hardship and ensure maximum simplicity. Honourable Members would recall that in presenting the last Budget my predecessor had emphasised the importance of stability and simplicity in the tax structure in the interest of providing a proper climate of expectations for orderly growth. The supplementary budget introduced last August took this process a step further, particularly in regard to the rationalisation of import duties. I have kept these basic objectives clearly in view in proposing measures for raising additional resources. Even in so doing, I have sought to carry the process of simplification a step further by proposing a number of changes and reliefs. I shall now explain my proposals in detail.

34. Starting with indirect taxes, I propose to leave customs duties alone as they were rationalised and raised only a few months ago. I, however, propose to increase the excise duties on a few commodities, not simply for raising revenue but also for restraining consumption where this can be done without too much hardship and increasing exportable surpluses. Two commodities, namely, optical bleaching agents and synthetic detergents will be subject to duty for the first time.

35. The excise duty on crystal sugar will be raised from Rs. 28·65 to Rs. 37 per quintal. Correspondingly, the duty on khandsari will also be raised. Taken together, these will bring in additional revenue of Rs. 21·93 crores. Assuming the duty is passed on fully to the consumer, the incidence will be only 8 to 9 paise per kilogramme of crystal sugar. As supply is expected to be adequate to meet demand, there is some prospect that the whole of the duty may not be passed on to the consumer.

36. The duty on cigars and cigarettes, as well as on unmanufactured tobacco for use in the manufacture of cigarettes and pipe mixtures, will also be raised by about 25 to 30 per cent. These increases are expected to yield additional revenue of Rs. 9·01 crores. The incidence of this increase will be about 5 paise per packet of expensive cigarettes and 1 to 2 paise per packet for the relatively cheaper ones.

37. The excise duty on diesel oil not otherwise specified, that is, light diesel, is proposed to be raised by Rs. 60 per kilo litre in order to bring it in line with duties on other petroleum products, so as to avoid undesirable mixtures. The additional revenue expected is Rs. 5·35 crores.

38. In order to restrain consumption of finer qualities of cloth which require imported cotton, I propose to increase duties on cotton yarn and cotton fabrics selectively. There will be no increase in the case of coarser counts of yarn. In the case of fabrics, the increase will be only in respect of processed products such as mercerised shrink-proof and organdie processed varieties. The additional revenue from increases in the duty on yarn is expected to be Rs. 7·23 crores and on fabrics Rs. 6·3 crores. Correspondingly, the duties on rayon and synthetic yarns are also being slightly raised and the revenue yield will be Rs. 50 lakhs.

39. The excise duties on a few other items, namely, sodium silicate and carbon dioxide are also being raised and the slab concessions on paper boards are being reduced. The additional revenue expected from these three items is Rs. 1·46 crores. The new duties on optical bleaching agents and synthetic detergents are expected to bring in Rs. 58 lakhs. In order to give some relief to small establishments which manufacture motor vehicle trailers, the *ad valorem* duty of 5 per cent on such trailers as are manufactured in establishments employing not more than five workers will be abolished. Altogether, the additional yield from the changes in excise duties proposed, together with corresponding increase in countervailing duties, will be Rs. 52·86 crores of which the States' share will be Rs. 10·07 crores The Central resources, therefore, will be augmented by Rs. 42·79 crores.

40. I shall now turn to direct taxes. In the field of personal taxation, I propose to increase the existing limits of total incomes not chargeable to tax by Rs. 500. Similarly, I propose to raise by Rs. 500 the existing personal allowances on which tax relief is given to resident individuals and Hindu undivided families. Thus, the exemption limit in the case of individuals will be raised from Rs. 3,000 to Rs. 3,500, the personal allowance of an unmarried individual, from Rs. 2,000 to Rs. 2,500, and the personal allowance of a married individual with more than one dependent child, from Rs. 4,300 to Rs. 4,800. The effect of these will be a reduction in revenue by Rs. 3·5 crores. The principal reason is to provide a measure of relief to a class of tax payers who merit their burden being lightened. But these measures will also accelerate the performance of the task of the tax authorities by eliminating a large number of small assessments and thereby enabling them to devote more and swift attention to tax collections from higher incomes.

41. For similar reasons, I also propose to raise the exemption limit for annuity deposits from Rs. 15,000 to Rs. 25,000. By this measure, the number of people required to make annuity deposits will be reduced sizeably from 1,76,000 to 80,000, while the reduction in receipts will only be of the order of Rs. 7 crores, after taking into account the corresponding gain to income-tax of Rs. 2·42 crores. I have, however, provided that even those in the income range of Rs. 15,000 to Rs. 25,000, who desire to make annuity deposits, will be enabled to do so and obtain the consequent tax relief on the amounts so deposited. Another small change which I propose to make is to provide that persons on attaining the age of 70 will hereafter be allowed to opt out of the Annuity Deposit Scheme, irrespective of whether they were liable to make annuity deposits before or not.

42. Having given these reliefs, I propose to levy a flat special surcharge of 10 per cent of the amount of income-tax and surcharge in respect of earned income and unearned income, payable by all non-corporate assessees. The additional revenue from the special surcharge will be Rs. 25·6 crores.

43. In regard to other personal taxes, I propose to abolish the expenditure tax. I do so for administrative reasons. The yield from this tax is very little, namely, Rs. 60 lakhs or thereabouts which has not been commensurate with the burden it puts on the administration and the inconvenience it causes to the assessees. I recognise that on purely economic grounds, it would be a very sound principle to replace the income-tax increasingly by a tax on expenditure, so that the maximum incentive is provided for savings. Given the substantial contribution made by income-tax to our revenues and the administrative difficulties and inconvenience to assessees involved in the assessment of expenditure, it is, however, not possible to attempt this substitution on any significant scale at the present stage.

44. I also propose to revise the rates of gift tax in order to bring them more closely in line with the rates of estate duty. In the process, the rates applicable to different slabs of value of gifts are also being reduced. Thus, the exemption limit is being raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 the rate on the slab from Rs. 10,000 to Rs. 25,000 is being reduced from 8 per cent to 5 per cent and the rates on subsequent slabs, up to Rs. 15,00,000, by varying percentages. The present maximum marginal rate of 50 per cent will, however, remain unchanged, but it will operate on the slab beyond Rs. 15 lakhs. I also propose to delete the provision for the aggregation of the value of gifts to the same donee over a number of years. This provision was designed to prevent avoidance of estate duty as well as gift tax at higher rates. But it is a measure whose practical utility is not established, specially if the time and trouble it involves on the part of both the administration and the assessees are taken into account. But to some extent to balance this measure, I propose to provide, by amendment of the Estate Duty Act, that gifts made within two years of death will be treated as part of the estate. At present the relevant period is one year. I have also taken this opportunity to raise the rates of estate duty on certain intermediate slabs, namely, Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs, from 8 per cent to 10 per cent, Rs. 3½ lakhs to Rs. 5 lakhs, from 15 per cent. to 25 per cent and from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs, from 25 per cent to 30 per cent. The loss in revenue as a result of changes in the gift tax will be Rs. 1·71 crores, whereas the additional revenue from the changes in the estate duty, which will go to the States, will be approximately Rs. 70 lakhs.

45. I propose to make another change in respect of estate duty. Honourable Members will recall that my predecessor had assured this House that the estates of members of police forces kill in action in defending the borders of the country would be exempted from estate duty in the same manner as members of the armed forces. I have made a provision for this. I feel this is a recognition, though small, of the courage and determination of members of this force in defending our country.

46. Finally, I would like to refer to one change in regard to personal taxation which also serve as a transition to my proposals in rega d to corporate taxation. Honourable Members are aware that at present when an equity shareholder is allotted a bonus share, he is liable to pay income-tax on the notional capital gain accruing to him. I propose to discontinue this provision and to provide that liability for tax will arise only when the capital gain is actually realised. The loss to revenue from this measure will be only Rs. 7 lakhs.

47. I shall now turn to corporate taxation. Here again, as in the case of personal taxation, I propose to provide certain reliefs which I consider necessary for providing a suitable climate for growth. At the same time, I propose to increase the general rates of tax on corpo ate incomes by approximately 10 per cent. I shall now explain these proposals in some detail.

48. The existing tax of 12·5 per cent. levied on domestic companies with reference to the amount of their bonus issues will be discontinued. The loss to revenue will be only Rs. 9 lakhs.

49. At present, the dividend tax of 7·5 per cent on companies to which it is applicable is, ordinarily, leviable on the whole of the dividends declared or distributed during the previous year. I propose now to provide that this tax will be leviable only on that part of the equity dividend declared or distributed which is in excess of 10 per cent of the paid-up equity capital. The loss to revenue on this account is estimated at Rs. 4·8 crores.

50. I also propose to reduce the rate of surtax provided under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, from the existing level of 40 per cent to 35 per cent. The loss to revenue on this account is estimated at Rs. 2·5 crores.

51. As already mentioned, I propose, simultaneously, to raise the effective rates of the basic corporate tax on companies. Thus, the rate of tax on profits from life insurance business will be raised from 47·5 per cent to 52·5 per cent. In the case of domestic companies in which the public are substantially interested with a total income not exceeding Rs. 25,000, the rate of tax is being raised from 42·5 per cent to 45 per cent, and the rate of tax on such companies with higher incomes, from 50 per cent to 55 per cent. In the case of closely-held domestic companies also, the existing general rate is being increased from 60 per cent to 65 per cent, and the concessional rate applicable to industrial companies on the first rupees ten lakhs of their income from 50 per cent to 55 per cent. In the case of foreign companies, royalty and technical service fees under certain approved agreements will bear the same effective rate of 50 per as at present but their other income will be taxed at 70 per cent, as against 65 per cent at p-esent. Similarly, some fiscal encouragement needs to be given to our industries to encourage them to provide technical "know-how" and technical services to newly developing countries. I propose, therefore, to provide for a concessional rate of tax on dividends received by an Indian company from a foreign company on sha-es allotted to the Indian company in consideration for supplying technical "know-how" or rendering technical services. This concessional rate will be 25 per cent. A simi'ar concessional rate of tax of 25 per cent will also be charged on royalties, commissions, fees, etc., received by an Indian company from a foreign company for supply of technical "know-how" and technical services. The net gain to revenues as a result of the changes in the basic rates of corpo ate taxation is estimated at Rs. 43·46 crores, after allowing for the consequent reduction of Rs. 5·6 crores under surtax.

52. Honourable Members are aware that at present we have separate schedules of priority industries, one for equalifying for development rebate at the higher rate of 35 per cent and the other for a concessional treatment in respect of the basic corporate tax. I propose to extend the list of priority industries for the purposes of the development rebate by inclusion of three more industries, namely of the manufacture of tea, newsprint and printing machinery. The same schedule will also apply for purposes of concessional treatment in the rate of tax. As a measure of simplification, however, I propose to modify the form of the concession. At present a special rebate on income-tax and surtax is granted to companies on their income from priority industries. I propose to replace this by a straight deduction of 8 per cent of the profits from priority industries in computing the total taxable income of the companies concerned. This direct manner of giving a rebate should greatly simplify the computation of the tax liability.

53. At present, 75 per cent. of development rebate actually allowed is required to be put into a reserve. In the case of the shipping industry, I propose to reduce this requirement to 50 per cent., in order to provide an incentive for fresh investment in this industry where levels of profitability are relatively low.

54. In order to provide a further incentive for the extension and renovation of our tea plantations, I propose to liberalise the existing provisions in the law in regard to the grant of development allowance. Firstly, the rate of development allowance for new planting will be increased from the existing quantum of 40 per cent. of the actual cost of planting to 50 per cent. thereof and, for replanting, from 20 per cent. to 30 per cent. Secondly, I propose that the allowance may be granted in two stages, first, for the year following the year in which the land is prepared for planting or replanting, with reference to the expenditure incurred up to that year, and, as to the balance, for the fourth year. This will replace the existing provision under which the whole of the allowance is granted only for the fourth year.

55. The rate schedule of depreciation allowable in respect of buildings, furniture, plant, machinery, etc., has become highly complicated. It is necessary to review the position in the light of recent developments and to make appropriate changes so that the schedule may be both rational and simple. I propose, therefore, to initiate a complate review during the next few months. The recommendations of the Working Group on Plantations Labour Housing will also be taken into account during this review. Meanwhile, I propose to provide that the cost of small items of plant and machinery costing not more than Rs. 750 per unit may be allowed to be depreciated in full in one year. I also propose to allow initial depreciation of 20 per cent. on the cost of new buildings erected by employers and occupied or used by employees d awing remuneration upto Rs. 7,500 p.a. annum. At present, this is allowed only in the case of buildings occupied or used by those drawing remuneration upto Rs. 200 per month.

56. At present when development rebate is allowed, the plant and machinery concerned is required to be retained in the possession of the assessee for a period of 8 years; otherwise, the rebate already allowed is liable to be withdrawn. When such plant, however, is transferred in the course of amalgamation, including merger of a subsidiary company with the parent company, the development rebate is not withdrawn. This is however, subject to the qualification that the merged subsidiary company is an Indian company. I do not see any reason for the exclusion of a foreign subsidiary as it comes in the way of merger of such companies with their parent companies. I, therefore, propose to withdraw this disqualification.

57. At present, approved financial corporations which are engaged in providing long term finance for industrial development in India are entitled to deduct, in the computation of their profits, an amount up to 10 per cent. of their total income carried to a special reserve account. In order to enable relatively small financial corporations to build up their financial resources at an accelerated pace, I propose to increase this deduction from 10 per cent. to 25 per cent. of the total income, in cases where the paid-up capital of the corporation does not exceed Rs. 3 crores. This will benefit mainly those financial corporations which are engaged in fostering industrial development on a regional basis.

58. I propose to make a number of changes relating to closely-held companies. Firstly, in determining whether a company is to be regarded as closely-held, I propose that for such of them as are mainly engaged in certain manufacturing activities or in ship-building, the test of the public being substantially interested should be regarded as satisfied if 40 per cent. of the equity is held by the Government, public corporations or members of the public, etc., instead of 50 per cent., as at present. Secondly, companies, which are mainly engaged in ship building will not be compelled to distribute their profits upto the statutory percentage. Companies which are only partly engaged in manufacturing activities will also not be required to make a compulsory distribution of their profits relating to such activities. Finally, certain types of expenditure incurred by a closely-held company for earning its income are at present not allowed for purposes of determining the tax liability. I see, however, no reason why such expenditure should not be allowed as a deduction in computing the distributable income of such a company. I propose to provide for this.

59. Honourable Members are aware that certain fiscal concessions have already been announced in respect of the National Defence Remittance Scheme. Thus, capital gains arising on the sale of bank certificates obtained under the Scheme would be liable to tax at the concessional rate of tax applicable to long-term capital gains, even though such certificates may have been transferred by the holder within a period of 12 months from the date of receiving the certificates. Non-residents who make a gift of foreign exchange to a resident in India by making a remittance under the Scheme would also be exempt from the gift tax. I have made provisions for these concessions in the relevant Acts.

60. With a view to encouraging small savings, the requirement of deduction of tax at source will be waived, subject to certain conditions, in the case of small investments in Government securities. Similarly, the interest on the new series of National Savings Certificates to be issued through the State Bank will bear the same concessional treatment as the existing series of National Savings Certificates. In the case of income from units of the Unit Trust of India, income upto Rs. 1,000 will be excluded from total income for purposes of tax assessment in the case of all assessees irrespective of the amount of their other income. This should make for simplification as well as greater incentive for investment in the Unit Trust.

61. Finally, I would like to mention some other changes that I have proposed essentially in the interest of simplification or better administration. I propose that the total income of assessees should be rounded to the nearest multiple of ten rupees and that the amount of tax, penalty, refund, etc., should be rounded to the nearest multiple of one rupee. As a measure of curb on ostentatious consumption, I propose that for the calculation of depreciation on motor cars acquired for the purposes of a business or profession, purchase price above Rs. 25,000 will be ignored. Those who are responsible under the law for deducting tax at source will be charged, in case of default in fulfilling these obligations, simple interest at the rate of 6 per cent. per annum for the period of the default. Another amendment relates to exemption of the income of charitable trusts and institutions from income-tax. It is being provided that a charitable trust or institution will forfeit the right to exemption if any part of its income or property is used or applied directly or indirectly for the benefit of those who might be closely associated with the trust or foundation as authors, substantial contributors or their relatives.

62. Before I sum up the effect of the tax proposals which I have explained so far, I would like to make two proposals designed to raise resources for the benefit of the States. The first is to increase from 2 per cent. to 3 per cent. the rate of Central Sales Tax leviable on inter-State sales. This will come into effect from 1st July 1966. This increase will yield an additional revenue of Rs. 19 crores to the States in a full year and Rs. 9·5 crores in the year 1966-67. Since the new rates will become effective from 1st July, 1966 and since collections are carried over from one quarter to the other, the additional yield during the next financial year will accrue only during two quarters of the year. Similarly, collections in the Union Territoies which form part of the Consolidated Fund of India will increase by Rs. 1 crore in a full year and Rs. 50 lakhs in 1966-67.

63. The second proposal is to raise from 2 per cent. to 3 per cent. the ceiling prescribed in respect of sales tax on goods declared to be of special importance in inter-State trade or commerce. This is a permissive amendment and would enable the States to refix the rates of local sales tax on coal, cotton, cotton yarn, hides and skins, iron and steel, jute, and oil seeds within the ceiling of 3 per cent, if they so desire. If all the States raise their local sales tax rate to the permissible ceiling of 3 per cent. from the pescribed date of 1st July 1966, it would give them an additional revenue of Rs. 7·5 crores in the next financial year. During a full year, however, the additional revenue would be Rs. 15 crores.

64. I shall now sum up the effect of my proposals. The additional yield resulting from the changes in the excise duties proposed will be Rs. 52·86 crores of which the share of the States will be Rs. 10·07 crores. The gain to the Central budget will, therefore, be Rs. 42·79 crores. The net effect of the changes in regard to personal taxation would be a gain to revenue of Rs. 22·14 crores. The additional yield from corporate taxation, after taking into account the concessions in regard to the dividend tax and surtax and the elimination of the tax on bonus issues, will be a gain to revenue of Rs. 36·07 crores. The changes in the inter-State sales tax which I have referred to will bring in an additional revenue of Rs. 50 lakhs to the Centre. The total revenue effect of my tax proposals is an addition of 101·51 crores. On the capital account, there will be a reduction in the yield of annuity deposits of Rs. 9·39 crores. The total additional resources thus available for reducing the deficit of Rs. 117 crores will, therefore, be Rs. 92 crores, leaving an overall gap of Rs. 25 crores.

65. Honourable Members will note, however, that the changes I have proposed will also augment the resources of the States to a significant extent. Apart from their share of Rs. 10·07 crores in union excise and additional yield of Rs. 69 lakhs in respect of estate duty, they will get Rs. 34 crores in a full year from the two changes that I have proposed in respect of the sales tax.

66. In conclusion, may I say that I am keenly aware that by the compulsion of circumstances I have had to propose additional resource mobilisation on a considerable scale. The underlying budgetary position with which we end the current financial year is itself not very satisfactory. This alone has required maximum

restraint on both Plan and non-Plan expenditure. At the same time, there are minimum claims of defence, development and drought relief which we cannot disregard without peril. In distributing the additional burdens, however, I have endeavoured to make the spread equitable among the different sections of the community and to put the strain where it can best be borne. I have also incorporated a number of reliefs and changes which are designed considerably to simplify the tax structure and which, I hope, will provide a better climate for orderly growth. Honourable Members would also appreciate, that, in presenting my budget proposals, I have kept clearly in view the need to make the economy stable. To this end, I would have liked to avoid deficit financing altogether and to budget for some surplus. If I have left a deficit of Rs. 25 crores, it is only because of my firm belief that a greater degree of resource mobilisation would be self defeating as it would come in the way of the buoyancy of production and revival of confidence which are so urgently required. I cannot conclude my presentation of the Budget without sharing with you, Sir, and the Honourable House a sentiment of optimism in this that we are together and determined to change our fiscal climate for the better. In whatsoever walk of life, in field or farm, factory or workshop, in offices or Parliament, Sir, I earnestly invite every citizen of our country to share with us in this House the task of building a more prosperous and happier India, truly free from fear and from want.

SUMMARY OF

STATEMENT A

REVENUE BUDGET

(In crores of rupees)

Receipts	Budget 1965-66	Revised 1965-66	Budget 1966-67
Customs	419·50*	531·20	560·00 +0·52**
Union Excise Duties	819·19*	861·35	969·70 +42·27**‡
Corporation Tax	371·60	330·00	340·00 +36·07**
Taxes on Income	291·50	260·00	270·00 +24·45**
Estate Duty	7·40	7·00	7·40 +0·70**
Taxes on Wealth	13·50	14·00	14·00
Expenditure Tax	1·55	0·75	0·75 —0·60**
Gift Tax	3·10	3·00	3·00 —1·71
Other Heads	23·87	24·76	26·47** +0·50**
Debt Services	296·73	316·46	360·62
Administrative Services	9·51	9·36	9·45
Social and Developmental Services	23·57	24·19	22·56
Multi-purpose River Schemes etc.	0·13	0·12	0·12
Public Works etc.	3·94	4·22	4·15
Transport and Communications	6·75	8·20	8·45
Currency and Mint	61·69	62·55	64·94
Miscellaneous	25·47	26·69	19·07
Contributions and Miscellaneous Adjustments	34·81	35·07	43·34
Extraordinary Items	60·50	80 72	30·66
Deduct—Share of Income Tax Payable to States	—121·27	—123·34	—130·45
Deduct—Share of Estate Duty payable to States	—7·17	—6·79	—7·11 —0·69**
TOTAL	2345·87	2469·51	2617·12 +101·51**
Disbursements			
Collection of Taxes, Duties and other Principal Revenues	28·88	29·64	30·84
Debt Services	356·11	372·61	414·83
Administrative Services	91·36	92·21	110·08
Social and Developmental Services	184·66	177·73	195·57
Multi-purpose River Schemes etc.	1·98	1·90	2·03
Public Works etc.	22·98	21·77	23·83
Transport and Communications	10·62	10·94	10·94
Currency and Mint	16·40	17·03	17·82
Miscellaneous	116·27	127·36	152·35
Contributions and Miscellaneous Adjustments :			
Grants to States and Union Territory Governments	327·11	334·95	396·30
States' Share of Union Excise Duties	140·84	145·92	212·75
Other Expenditure	4·69	4·82	5·02
Extraordinary Items	65·84	81·48	37·38
Defence Services (Net)	748·74	769·06	797·67
TOTAL	2116·48	2187·42	2407·41
Deficit (—) / Surplus(+)	+229·39*	+282·09	+209·71 +101·51**

* In addition the measures introduced through Finance (No. 2) Act, 1965, were expected to yield Rs. 80·33 crores under Customs and Rs. 25·92 crores under union excise duties making a total of Rs. 106·25 crores, thereby increasing the Revenue Surplus to Rs. 335·64 crores.

** Effect of Budget proposals.

**‡ Excludes Rs. 10·07 crores being the share of [illegible]

FINAL ESTIMATES

STATEMENT B

CAPITAL BUDGET

(In crores of rupees)

Receipts	Budget 1965-66	Revised 1965-66	Budget 1966-67
Revenue Surplus	229·39*	282·09	209·71 +101·51**
Public Debt :			
Raised in India	270·00	286·37	284·00
Floating Debt (other than Treasury Bills)	..	53·57	—1·21
Raised abroad :			
Loans other than PL 480 Loans	588·86	536·90	459·85
PL 480 Loans	80·00	80·00	325·00
Repayment of Loans and Advances :			
States and Union Territories	273·09	281·64	288·00
Others	60·00	61·00	82·00
Small Savings (Net)	135·00	134·90	135·00
Provident Funds (Net)	54·66	55·05	57·58
Income Tax Annuity Deposits (Net)	65·00	45·40	44·40 —9·39**
Deposits of PL 480 Funds (Net)	191·00	150·00	—119·00
Special Development Fund (Net)	143·16	109·74	349·12
Railway and P. & T. Funds (Net)	48·23	37·80	26·57
Other Debt, Deposits etc. (Net)	27·25	48·40	19·48
TOTAL	2166·24	2162·86	2160·50 +92·12**

Disbursements			
Capital Expenditure :			
Civil	359·73	372·37	301·93
Defence	130·05	119·33	120·60
Railways	240·0	239·89	180·60
P. & T.	32·83	29·99	24·25
Repayment of Debt :			
Raised in India	170·00	173·00	193·60
Raised abroad	97·29	96·44	120·59
Loans and Advances :			
States and Union Territories	703·46	823·38	665·93
Others	349·94	393·46	345·00
TOTAL	2083·30	2247·86	1952·50
Add—National transfer of loan assistance to the Special Development Fund	80·00	80·00	325·00
Total Disbursements	2163·30	2327·86	2277·50
Overall Deficit (—) Surplus(+)	+2·94	—165·00	—117·00 +92·12**

* This would increase to Rs. 335·64 crores as explained under Statement A

** Effect of Budget proposals.

बजट 1966-67

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 28 फरवरी 1966

महोदय,

मैं भारत सरकार का 1966-67 का बजट पेश कर रहा हूं। पर ऐसा करने से पहले मैं अपने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे देश और जनता की सेवा के लिए जिये और उसी के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किये। वे अपने साथ अमर भावना लेकर आये थे और वह भावना वे राष्ट्र को भेंट करके चले गये हैं। इसी विरासत को लेकर हमें अपने प्रिय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में और अपने सम्मानित सहयोगियों के साथ जनता की सेवा करते हुए अग्रसर होना है। माननीय सदस्यों के साथ मैं इस काम में अपना हिस्सा बटाऊंगा।

2. भारत सरकार का बजट हमारी योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करने का एक प्रमुख साधन है। इसलिए, इसे मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से और साथ ही दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाना पड़ता है। अर्थ-व्यवस्था की हाल की प्रवृत्तियों की रूपरेखा 'आर्थिक समीक्षा' में दी गयी है, जो कुछ दिन पहले संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए, मैं सिर्फ कुछ ही बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करूंगा जिनका अगले वर्ष का बजट तैयार करने से सम्बन्ध है।

3. जो वर्ष अब समाप्त हो रहा है वह कई दृष्टियों से बहुत कठिन रहा है। कुछ कठिनाइयां, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में अपर्याप्त कार्य पूंजी बाजार की सुस्ती, शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेण्ट्स) पर दबाव और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि वर्षों से हमारे साथ-साथ चल रही हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि बजट सम्बन्धी और वास्तव में सभी आर्थिक नीतियां इसी दृष्टि से बनायी जायं कि इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों का प्रतिकार किया जा सके। वर्तमान राजस्व-वर्ष में हमने आशा की थी कि 1964-65 में खेती की पैदावार और राष्ट्रीय आय में जो भारी वृद्धि हुई है उसी के अनुरूप सामान्य आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकेगा। किन्तु, अनेक अप्रत्याशित प्रतिकल घटनाओं के कारण यह आशा पूरी नहीं हुई। चालू वर्ष में, वर्षा के अभाव के अलावा, हमें अपनी सीमाओं पर युद्ध-स्थिति और विदेशी सहायता की रुकावट का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है।

4. माननीय सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष का जो बजट पिछले फरवरी महीने में पेश किया गया था उसमें थोड़े से सम्पूर्ण अधिशेष का अनुमान किया गया था। लेकिन वर्ष के प्रारम्भिक भाग में ही यह स्पष्ट हो गया कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से बचने के हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए, राजस्व में वृद्धि करने के लिए अनुपूरक उपाय करने पड़ेंगे। तदनुसार, पिछले अगस्त महीने में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया उस में चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति की व्यवस्था की गयी। उस के बाद से बजट सम्बन्धी सम्भावना बिगड़ गयी है। मौजूदा लक्षणों से यही जान पड़ता है कि चालू वर्ष में लगभग 165 करोड़ रुपये का भारी घाटा रहेगा। अनुपूरक बजट के प्रभाव को मिलाकर, मूल बजट के अनुमानों की तुलना में, राजस्व खाते में अब 53 करोड़ रुपये की कमी रहने की सम्भावना है। लेकिन, लगभग 112 करोड़

रुपये की भारी कमी सम्भवतः पूंजी खाते में रहेगी। हमारे पहले के अनुमानों के मुकाबले, राजस्व और पूंजी खाते में जो परिवर्तन होंगे, उनका ब्योरा देकर मैं माननीय सदस्यों पर बोझ डालना नहीं चाहता। इसलिए, मैं केवल उन्हीं परिवर्तनों का जिक्र करूंगा जिनका भविष्य से कुछ सम्बन्ध है।

5. राजस्व के अन्तर्गत, आय कर और निगम (कारपोरेशन) कर की प्राप्तियों में अब 73 करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, सीमा-शुल्क की प्राप्तियों में 31 करोड़ रुपये की वृद्धि और उत्पादन शुल्कों में 16 करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है, इसलिए करों से होने वाली कुल प्राप्तियों में 26 करोड़ रुपये की कमी रहेगी।

6. जहां तक राजस्व खाते के व्यय का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि पिछले अगस्त महीने में हमारी सीमाओं पर जो लड़ाई छेड़ी गयी थी उस के कारण प्रतिरक्षा (बचाव) और सीमा-सुरक्षा का खर्च बढ़ाना आवश्यक हो गया है। राजस्व खाते के रक्षा सम्बन्धी व्यय में, पहले के अनुमानों की अपेक्षा, 20 करोड़ रुपये की वृद्धि, सीमा-सुरक्षा के लिए राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में 6½ करोड़ रुपये की वृद्धि और केन्द्र के लिए राज्यों द्वारा खड़े किये जाने वाले पुलिस बटालियनों के लिए की जाने वाली अदायगियों में 1½ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है, जिस से इन तीनों मदों के कुल खर्च में 28 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। राजस्व खाते में इन तथा अन्य परिवर्तनों का वास्तविक परिणाम यह होगा कि लगभग 335 करोड़ रुपये का राजस्व सम्बन्धी अनुमति अधिशेष (एस्टिमेटेड सरप्लस), अब घटकर 282 करोड़ रुपये रह जायगा।

7. पूंजी खाते की मुख्य बातें ये हैं कि विदेशी सहायता के सम्बन्ध में 43 करोड़ रुपये की कमी और राज्यों को दी जाने वाली ऋण-सहायता में 100 करोड़ रुपये की ऐसी रकम की वृद्धि होगी, जो चालू वर्ष में वसूल नहीं की जायगी। राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति सामान्यतः कमजोर होने के कारण और यह भी आवश्यक होने के कारण कि राज्य संकटकालीन आधार पर विशेष कृषि-कार्यक्रमों को हाथ में ले सकें, राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए ऋणों के रूप में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, अनुमान है कि कुछ राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान उन्हें और भी 45 करोड़ रुपये के ऋण देने की आवश्यकता होगी। राज्यों को ऋणों के रूप में 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम रासायनिक खादों की खरीद और बंटवारे के लिए दी गयी। छोटी बचतों के सम्बन्ध में राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस बात की भी सम्भावना है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, विशेषतः हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारतीय तेल निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और नेवेली लिगनाइट (भूरा कोयला) की आवश्यकताएं भी बढ़ जायं। दूसरी ओर, कई शीर्षकों के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय में कुछ बचत का अनुमान करने के लिए आधार है।

8. माननीय सदस्य देखेंगे कि पूंजी खाते की 112 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी का असली कारण दो मुख्य बातें हैं, अर्थात् राज्यों को दी गयी अतिरिक्त ऋण-सहायता और विदेशी सहायता में कमी। संक्षेप में, केन्द्रीय कर-प्राप्तियों में हुई 26 करोड़ रुपये की कमी कुल कर-प्राप्तियों के 1½ प्रतिशत भाग से कम है। इसके अलावा, रक्षा और सीमा सुरक्षा सम्बन्धी राजस्व-व्यय की वृद्धि भी उस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अधिक नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ा था। विदेशी सहायता में होने वाली कमी स्पष्टतः एक ऐसी बात है जो प्रायः हमारे नियन्त्रण से बाहर है। यदि राज्यों को दी जाने वाली ऋण-सहायता में 100 करोड़ रुपये की ऐसी रकम की वृद्धि न हुई होती, जो इस वर्ष वसूल नहीं की जा सकती, तो केन्द्रीय बजट में इस वर्ष कुल 65 करोड़ रुपये की कमी रहती। इतने पर भी,

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि चालू वर्ष की घटनाएं चिन्ता का विषय हैं और उनके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि बजट बनाने में और भी अधिक मात्रा में यथार्थता का सहारा लिया जाय और सभी प्रकार के व्यय को नियन्त्रित रखने का और भी पक्का निश्चय किया जाय, चाहे वह व्यय राजस्व खाते का हो या पूंजी खाते का, आयोजना सम्बन्धी हो या आयोजना से पृथक, केन्द्र द्वारा किया जाने वाला हो या राज्यों द्वारा ।

9. मैं इस बात पर जितना भी जोर दूं वह कम ही होगा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति की कमजोरी और कुछ राज्यों की, रिजर्व बैंक से, अनधिकृत रूप से अपनी जमा से अधिक रकमें निकालने की प्रवृत्ति ऐसी बातें हैं जिनका निवारण होना ही चाहिए । इन अधिक रकमों के शोधन का जो दायित्व हमने अब तक अपने ऊपर लिया है, उसके कारण केन्द्र की बजट-सम्बन्धी स्थिति पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव का प्रभाव राज्यों की आयोजनाओं के सम्बन्ध में उनकी सहायता करने की, केन्द्र की क्षमता पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता । कुछ राज्यों द्वारा अनधिकृत रूप से अपनी जमा से अधिक रकमें निकाली जाने तथा घाटे के बजट बनाये जाने का असर अनिवार्य रूप से अन्य राज्यों पर भी पड़ता है, जो अधिक यथार्थता के आधार पर अपने कार्यों की व्यवस्था करने में अधिक समर्थ या उसके लिए अधिक इच्छुक होते हैं । अतः केन्द्र और सभी राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बांट लें कि भविष्य में अनुशासन के सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जायगा और इस प्रकार घाटे के बजट बनाने जैसे बजट-सम्बन्धी असन्तोषजनक कार्य करने और रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अनधिकृत रूप से अधिक रकमें निकालने से बचा जायगा । योजना आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने का हमारा विचार है, ताकि कुछ राज्यों के वित्तीय प्रबन्ध की वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति का अन्त हो जाय ।

10. भारत सरकार का 1966-67 का बजट चालू वर्ष की बजट-सम्बन्धी उन बातों का विचार करके बनाना पड़ेगा जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है । जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया है, इसमें अर्थव्यवस्था की हाल की प्रवृत्तियों और रक्षा तथा विकास की जारी रहने वाली आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा । 1966-67 का वर्ष चौथी पंचवर्षीय आयोजना का पहला वर्ष है । इसलिए यह आवश्यक है कि 1966-67 का बजट चौथी पंच-वर्षीय आयोजना का समारम्भ इतना अच्छा करे जितना मुद्रा सम्बन्धी तथा मूल्य-सम्बन्धी अधिक स्थिरता लाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए किया जा सके । माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि यद्यपि हमारी नीति हमेशा यही रही है कि रक्षा-सम्बन्धी व्यय यथासम्भव कम से कम रखा जाय, ताकि जनता की भलाई के कामों के लिए अधिक से अधिक साधन सुरक्षित रहें, तो भी, शान्ति के उपासक होते हुए भी, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम किसी तरह की असावधानी नहीं दिखा सकते ।

11. माननीय सदस्यों को देश की आर्थिक स्थिति की बड़ी बड़ी बातें पहले ही से मालूम हैं । 1964-65 में कृषि उत्पादन में जो काफी वृद्धि हुई थी वह चालू वर्ष में खराब मौसम के कारण जारी न रह सकी । यद्यपि चालू वर्ष के कृषि-उत्पादन का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो भी यह स्पष्ट है कि अन्न की उपज में काफी कमी होगी और जूट, मेस्ता, तेलहनों, तम्बाकू, चाय और कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों की उपज में भिन्न भिन्न मात्राओं में कमी होगी । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि मैं इस अवसर पर मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और जनता के प्रति इस बात के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं कि वे हमें आवश्यकता के समय बड़े परिमाण में अन्न देने को सहमत हो गये हैं । पर यह सहायता मिलने पर भी, अगले वर्ष आवश्यक अन्न और खेती के कच्चे माल की उपलब्धि बहुत सीमित रहे गी । इस लिए सरकारी व्यय के मुद्राबाहुल्यकारी (इन्फ्लेशनरी) परिणाम को सीमित रखना इस समय जितना आवश्यक है उतना पहले कभी नहीं था ।

12. चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि भी धीमी पड़ गयी है। 1965-66 की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन में 1964-65 की इसी अवधि के मुकाबले 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर अनुमान है कि चालू राजस्व वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार समूचे वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। हम विकास के लिये लगातार जो प्रयत्न कर रहे हैं वे सफल हो रहे हैं। बहुत से उद्योगों में जैसे तैयार इस्पात, ऐल्यूमीनियम, इंजीनियरी संबंधी सामान और रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है और आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष उसमें और भी वृद्धि होगी। दूसरी ओर, देश में कच्चे माल की कमी होने और इस कमी को अधिक आयात करके पूरा करने में हमारे असमर्थ होने के कारण हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन में बहुत सुस्ती आ गयी है।

13. सतही तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि हमारी शोधन सन्तुलन संबंधी स्थिति में चालू राजस्व वर्ष में कुछ सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, 1964-65 में हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 72 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसके विपरीत, हमारे लिये यह सम्भव हो सकता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 11 9 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम निकाल कर 1965-66 में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में कोई कमी न होने दें। पर आयात नीति को बहुत अधिक प्रतिबन्धमूलक बनाकर हम अपनी प्रारक्षित नीधि में, जो पहले ही कम हो गयी है, चालू वर्ष में और अधिक कमी को रोक सके हैं। चालू वर्ष में, अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिये किये जाने वाले आयात के लिये नये लाइसेंस बहुत सीमित आधार पर दिये गये हैं और औद्योगिक उत्पादन पर इसका असर, इस बात के बावजूद पड़ने लगा है कि देश में उपलब्ध आयातित माल और पुर्जों में बहुत कमी हो रही है।

14. अगले महीनों में अन्न और खेती के कच्चे माल के अनिवार्य आयात की हमारी आवश्यकताएं सूखा पड़ने के कारण बढ़ जायेंगी। कृषि-उत्पादन में कमी होने के कारण कुछ कृषि-पदार्थों के निर्यात को बनाये रखना भी पहले से अधिक कठिन होगा। यद्यपि विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति कठिन रही है और आने वाले महीनों में भी सम्भवतः ऐसी ही रहेगी, तो भी मैं समझता हूं कि हमारे आयात पर लगे हुये प्रतिबन्धों को और अधिक कड़ा करने से या उनकी वर्तमान तीव्रता को बनाये रखने से भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ेगी। हमें वास्तव में जिस बात की आवश्यकता है वह यही कि अगले महीनों में अर्थ व्यवस्था को संभाले रखने के लिये काफी अधिक परिमाण में आयात किया जाय, ताकि देश में उपलब्ध सामान की मात्रा को बढ़ा कर उसे सामान्य स्तर तक पहुंचाया जा सके और जो उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गयी है उसका यथासम्भव पूरा पूरा उपयोग किया जाये। अधिक उदार आयात-नीति के आधार पर ही हम निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन को अधिक गतिशील बना सकते हैं और व्यापक कार्यकुशलता की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस समय हमारी जो स्थिति है उसमें हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि हम पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त किये बिना कच्चे माल और पुर्जों के आवश्यक आयात के लिये अधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस दें। पर माननीय सदस्य विश्वास रखें कि सरकार अपने वर्तमान आयात प्रतिबन्धों की तीव्रता कम करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों की सरकारों का सहयोग प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करेगी।

15. फिर भी, लम्बी अवधि में आयात को सन्तोषजनक स्तरों पर बनाये रखने और ऋण परिशोध संबंधी देनदारियों जैसी विदेशी देनदारियों को पूरा करने की हमारी क्षमता आवश्यक रूप से हमारे उन प्रयत्नों पर ही अधिकाधिक निर्भर रहेगी जो हम अपना निर्यात बढ़ा कर ही नहीं, बल्कि पर्यटन, प्रेषणाओं (रेमिटेंसेज) जहाजरानी और इस प्रकार के अन्य स्रोतों से होने वाली

अदृश्य (इनविजिबुल) प्राप्तियों को भी बढ़ाकर अपनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिये करेंगे। तीसरी आयोजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में हमारे निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई, जो इस कारण अधिक सन्तोषजनक रही कि वह, देश में उत्पादन की वृद्धि आशा के अनुरूप न होने पर भी हुई। पर पिछले दो वर्षों में निर्यात में ऐसी वृद्धि नहीं हुई, और निकट भविष्य में हमें इस स्पष्ट सम्भावना का सामना करना है कि हमारे कुछ कृषि-पदार्थों के निर्यात पर सूखे का बुरा असर पड़ सकता है।

16. बुनियादी बात यह है कि हम सब क्षेत्रों में उत्पादन और कार्यकुशलता को बढ़ाये बिना और देश में सामान्य मुद्रा बाहुल्यकारी (इन्फलेशनरी) दबाव को रोके बिना, निर्यात करने के अपने प्रयत्नों को लगातार जोरदार नहीं बनाये रख सकते। जहां निर्यात से होने वाली आय की वृद्धि तथा समुचित विकास के लिये इन दिशाओं में लगातार प्रयत्न करना आवश्यक है, वहां हमने निर्यात बढ़ाने के लिये विशिष्ट प्रोत्साहन देने के लिये भी बहुत सी व्यवस्थायें की हैं। इस वर्ष लागू की गयी कर जमा-पत्र (टैक्स क्रेडिट सर्टीफिकेट) योजनायें और आयात-अधिकार (इम्पोर्ट एण्टाइटिलमेंट) योजनायें, जो कुछ समय से अमल में हैं, उन प्रोत्साहनों के उदाहरण हैं जो हम इस समय निर्यात बढ़ाने के लिये दे रहे हैं। अभी हाल में हमने राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण (नेशनल डिफेंस रेमिटेंस) योजना जारी की है और यह कहते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना का स्वागत उत्साह वर्धक रहा है। इसे देखते हुये ही, इस योजना की अवधि और तीन महीने के लिये बढ़ा दी गयी है, यद्यपि लाभ के अनुपात को' जो योजना में निहित है, कम करने के लिये एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने अपनी आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर निर्यात प्रोत्साहन के जो उपाय किये हैं हम उनकी समीक्षा, संशोधन और विस्तार करते रहेंगे, ताकि वे जोरदार प्रयत्न के लिये प्रबल, स्थिर और व्यापक आधार प्रस्तुत करते रहें।

17. सर्वोत्तम इच्छाशक्ति के होते हुए और शक्तिभर अधिकतम प्रयत्न करने पर भी हम अब भी निकट भविष्य में विदेशी सहायता के बिना काम नहीं चला सकते। भारत में हमने हमेशा ही यह माना है कि विदेशी सहायता, अधिक से अधिक आन्तरिक (देशी) और बाह्य (विदेशी) साधन जुटाने के, हमारे निजी प्रयत्नों की अनुपूर्ति ही कर सकती है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा के लिए यह नहीं मान सकता है कि बाहरी सहायता उसके अपने ही उचित प्रयत्न का विकल्प (सब्स्टीच्यूट) या उसकी अर्थ-व्यवस्था की स्थायी विशेषता है। यह भी स्वाभाविक और अनिवार्य है कि हमें सहायता देने की हमारे विदेशी मित्रों की इच्छा इस विश्वास पर निर्भर होगी कि अपनी समस्याओं का सामना करने और जो सहायता हमें प्राप्त होगी उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की क्षमता हम में है। केवल इसी तरह हम यह आशा कर सकते हैं कि असाधारण ढंग की जो विदेशी सहायता हमें मिल रही है उसके बिना, जल्दी ही, हम अपना काम चला सकेंगे। हमें आशा है कि विश्व बैंक के नेतृत्व में संगठित सहायता संघ (कंसार्शयम), उसी रचनात्मक ढंग से हमारी चौथी आयोजना के लिए भी बाहरी सहायता जुटाने का काम करेगा जिस ढंग से उसने हमारी दूसरी और खासकर तीसरी आयोजना के लिए किया था। इस के साथ ही, माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि स्वयं आयोजना और आयोजना के समर्थन में हमारी नीतियां न सिर्फ ऐसी होनी चाहिए जो विकास के उचित लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों, बल्कि ऐसी, जो अपनी शक्ति और साधनों पर भरोसा करने के हमारे और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ भी मेल खाती हों

18. इस सम्बन्ध में, मैं खास तौर से यह कहूंगा कि अन्न और खेती की दूसरी चीजों को बाहर से मंगाने के मामले में, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता में कमी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में खेती की पैदावार में काफी वृद्धि करने के लिए हम जो

व्यवस्था कर रहे हैं उस पर विचार करने का माननीय सदस्यों को पूरा अवसर मिलेगा। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमारी बजट सम्बन्धी स्थिति भी पी० एल० 480 के अन्तर्गत कृषि-वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगी है ; सम्भवतः हम पी० एल० 480 के लेन-देन के कारण बजट की विशाल साधन-वृद्धि को खेती के मोर्चे पर, अपनी कठिनाइयों के आकस्मिक प्रतिरूप के सिवा और कुछ नहीं मान सकते। इस तथ्य से कि अपने बजट साधनों की पूर्ति के लिए आज हम पी० एल० 480 के कार्यक्रम पर इतना अधिक निर्भर हैं, एक बार फिर इसी बात की पुष्टि होती है कि सरकारी खर्च के सम्बन्ध में सतर्कता से काम लेने और साथ ही देश के अन्दर और अधिक साधन जुटाने के लिए हर सम्भव उपाय करने की आवश्यकता है।

19. अतिरिक्त आन्तरिक साधन जुटाने की सम्भावना स्वयं भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास और गतिशीलता पर अधिक से अधिक निर्भर होगी। इसलिये, इसकी ओर हम चाहे जिस ओर से देखें, यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ा कर आर्थिक क्षेत्र के क्रियाकलाप में सुधार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के आत्म-विश्वास को सुदृढ़ और स्थिर रखने और साथ ही सरकारी उद्योग-धन्धों के अपने बढ़ते हुए परिवार के पहले से अधिक कुशलतापूर्ण कार्य और प्रबन्ध को महत्व देता हूं। मेरे लिए, पूंजी बाजार की अस्वस्थता के सम्बन्ध में, जो पिछले तीन साल से जारी है, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमने वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से अधिक सहायता दिलवाकर, गैर-सरकारी उद्योग धन्धों को निवेश सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने का यत्न किया है, फिर भी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि पंजी बाजार का पुनरुद्धार और सामान्य शेयरों के रूप में उद्योग-धन्धों में व्यक्तिगत (प्राइवेट) बचतों का लगाया जाना समाज के विस्तृत हितसाधन के लिए वांछनीय है। जो लोकतंत्रीय समाज सरकारी और गर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में शीघ्रतापूर्ण विकास चाहता है और यह नहीं चाहता कि सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो उसके लिए यह और भी अधिक उचित है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग-धन्धों में अधिक से अधिक पूंजी लगाये। ऐसी स्थिति में गैर-सरकारी उद्योग धन्धों का विकास, समाज के विभिन्न वर्गों के अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य शेयरों की खरीद पर निर्भर होना चाहिए। सामान्य शेयरों की खरीद में और भी ज्यादा हिस्सा लिये जाने से गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग धन्धों की प्रबन्ध-व्यवस्था पर और भी कड़ा नियंत्रण रखने में सुविधा हो सकेगी।

20. इस बात के बावजूद कि माल और सेवाओं की उपलब्धि (सप्लाई) की तुलना में मुद्रा की उपलब्धि में कहीं अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है, मुद्रा के क्षेत्र में, अभी हाल तक भारी तंगी रही है। बजट क्षेत्र की उन बातों को देखते हुए जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुद्रा-उपलब्धि की गति उस गति से तेज रही है जिसकी कल्पना की गई थी। लेकिन स्पष्ट है कि एक साथ ही मुद्रा की तंगी और मुद्राउपलब्धि में तेजी से वृद्धि इस बात को प्रकट करती है कि वास्तविक बचतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है और शायद इनका कुछ हिस्सा इस ढंग के निवेशों (इन्वेस्टमेंट) में चला गया है जो कम वांछनीय हैं पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज गति से हमने मुद्रा-उपलब्धि को बढ़ाया है उसे आगे भी जारी रख कर हम मुद्रा की तंगी दूर कर सकते। ऐसा करने से देश में केवल मुद्रा-बाहुल्य की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। माननीय सदस्यों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि देश के सामान्य मूल्य-स्तर में जनवरी, 1966 में समाप्त 12 महीनों में 7.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि रिजर्व बैंक, उत्पादन के स्तरों को और भी ऊंचा करने की दृष्टि से ऋणों की उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा-नीति के साधनों का प्रयोग लचीलेपन के साथ करता रहेगा, फिर भी हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि वास्तविक कार्यों के लिए ऋण का विस्तार, ज्यादातर जमा रकमों की वृद्धि के आधार पर और कम

वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों के लिए होने वाले ऋण-विस्तार को निरस्तहित करके किया जाय। निश्चय ही, इन बातों के अलावा भी, इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक उन्हीं उद्देश्यों के लिए पैसा उधार दें, जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हों, जैसे कि विभिन्न कोटि के उत्पादकों को पहले के बनिस्बत अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करना और सम्पत्ति तथा आर्थिक प्रभाव के अनुचित केन्द्रीयकरण को रोकना।

21. अब मैं उन मुख्य बातों को संक्षेप में बताऊंगा जिन्हें—उन घटनाओं के प्रकाश में, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं—अगले साल का बजट तयार करते समय ध्यान में रखा गया है। पहली और सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि बजट ऐसा होना चाहिये जिसे उत्पादन को बढ़ावा मिले और बचतों को और अधिक महत्व देने के लिये पहले से अच्छा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हो सके। दूसरी बात यह है कि यद्यपि अर्थ-व्यवस्था से पहले की बनिस्बत और भी अच्छा काम लेने की दृष्टि से जारी निवेशों (इनवेस्टमेन्ट्स) को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिये, पर सरकारी खर्च को, खासकर उस खर्च को जो सामान्य प्रशासन और लंबे अरसे में फल देने वाली विकास की नयी योजनाओं पर किया जाये नियंत्रित करने के लिये भी हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये। जिन प्रतिबंधों का मैंने अभी उल्लेख किया है उनकी दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि इस सरकार का इरादा है कि प्रगति को स्थिर आधार पर लाया जाय और सरकारी क्षेत्र में उन उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया जाय जिन से देश को लाभ हो। इस प्रकार का एक उद्योग बोकारो का इस्पात कारखाना है, जो सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सहायता से स्थापित किया जाना है मैंने राजस्व और पूंजी खाते की प्राप्तियों का अनुमान भी यथासंभव अधिक से अधिक वास्तविक आधार पर लगाने का यत्न किया है

22. अब मैं अगले वर्ष के राजस्व खाते के खर्च के अनुमानों का जिक्र करूंगा। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि कुछ वृद्धियां इस अर्थ में प्राय स्वचालित (आटोमैटिक) होती हैं कि वे उन निर्णय का परिणाम होती हैं जो पहले ही किये जा चुके हैं या जो संविधानी (कांस्टिट्यूशनल) दायित्वों का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिये चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्यों को किये जाने वाले अन्तरणों (ट्रांसफर) के कारण संविधिक (स्टेट्यूटरी) अनुदानों के अन्तर्गत व्यय में 77 करोड़ रुपये की वृद्धि और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से के अन्तर्गत 67 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। ऋण चुकाने के खर्च में 42 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था तथा कर-जमा (टैक्स क्रेडिट) संबंधी जो विभिन्न योजनाएं अभी हाल अपनायी जा चुकी हैं उनके कारण व्यय में 24 करोड़ रुपये की और भी वृद्धि होगी। यदि इन विशेष मदों और अपने आप सन्तुलित होने वाली (सेल्फ बैलंसिंग) कुछ मदों जैसे पी० एल० 480 के अनुदानों, संकट कालीन जोखिम बीमा योजना (इमर्जेन्सी रिस्क इंश्योरेंस स्कीम) और पूंजीगत अनुदानों के पुरांकन (राइट बैक) को छोड़ दिया जाय, तो अगले वर्ष राजस्व-व्यय में केवल 46 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई देगी। यद्यपि राजस्व खाते के आयोजना संबंधी व्यय में 36 करोड़ रुपये की कमी हुई है, वृद्धियों का कारण यह है कि रक्षा सेवाओं के अन्तर्गत 29 करोड़ रुपये की वृद्धि पुलिस के अन्तर्गत, मुख्यतः सीमा-सुरक्षा की आवश्यकताओं के कारण 14½ करोड़ रुपये की वृद्धि और सूखा-पीड़ितों की सहायता के अनुदानों के अन्तर्गत 11½ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तथा 6 करोड़ रुपये संघीय राज्य क्षेत्रों को उनके बजट संबंधी घाटों को पूरा करने के लिये दिया जाना है। अगले वर्ष पुलिस को

छोड़ कर, खास प्रशासनिक सेवाओं पर 99 करोड़ रुपया खर्च होगा, जब कि इस वर्ष 93 करोड़ रुपया और पिछले साल 83 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अगले वर्ष 6 करोड़ रुपये की वृद्धि में अगले वर्ष के निर्वाचन व्यय का 2½ करोड़ रुपया शामिल है। राजसहायता (सब्सीडीज़) और सहायता (एड) के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की जो कमी हुई है उसे छोड़ कर, राजस्व खाते के खर्च की शेष वृद्धि अधिकतर गैर-आयोजना के विकास-संबंधी शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है और उसमें तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की उन योजनाओं का बचमवद्ध व्यय शामिल है, जो पूरी हो चुकी हैं। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जिन छोटी छोटी वृद्धियों का मैंने अभी जिक्र किया है उनके कारण मितव्ययता और संयम से काम लेने के लिये बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अधिकांश वृद्धियां अनिवार्य व्यय या रक्षा व्यय और सीमा-सुरक्षा जैसी मदों के संबंध में हैं जिन्हें उन परिस्थितियों में जिनका हमें सामना करना है, नितान्त आवश्यक समझे जाने के सिवा और कुछ नहीं समझा जा सकता।

23. अपने आप सन्तुलित होने वाली कुछ मदों को हिसाब में न लेने पर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में अगले वर्ष के राजस्व में 191 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी देगी। सीमा-शुल्कों से मुख्यतः इस कारण 29 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है कि शुल्क में जो वृद्धियां की गयी हैं उनसे अब पूरे वर्ष प्राप्तियां होती रहेंगी। उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में मुख्यतः उत्पादन बढ़ने और नयी रिफाइनरियों से पेट्रोलियम की चीजों की निकासी और सीमेंट तथा लोहे और इस्पात का पहले से अधिक उत्पादन होने से 108 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। इस वर्ष के अनुभव और इस बात पर विचार करते हुए कि चालू वर्ष की प्राप्तियों में कर का काफी बड़ा भाग ऐसा है, जो अपनी इच्छा से घोषणा करने (वोलंटरी डिस्क्लोजर) के कारण प्राप्त हुआ है, मैंने यह मान लिया है कि निगम और आय करों में अगले वर्ष केवल 20 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

24. मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें और कई विविध मदों को ध्यान में रखते हुए करों के वर्तमान दरों के आधार पर अगले वर्ष कुल 2617 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और राजस्व खाते से 2407 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस तरह राजस्व खाते का अगले वर्ष का 210 करोड़ रुपये का अधिशेष चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 72 करोड़ रुपये कम रहेगा।

25. पूंजी खाते में अगले वर्ष के लिये मैंने विदेशी ऋणों के 460 करोड़ रुपये रखे हैं जब कि चालू वर्ष में वे 490 करोड़ रुपये थे। इस में पी० एल० 480 निधियों की नयी वृद्धि का 230 करोड़ रुपया शामिल नहीं है। बाजार ऋणों की रकम 280 करोड़ रुपया रखी गयी है जो प्रायः चालू वर्ष की रकमों के बराबर ही है। पर, चूंकि अगले साल ऋणों की वापसी की रकम काफी बड़ी है, इसलिये अगले साल की बाजार ऋणों की 86 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम चालू साल की रकम से 22 करोड़ रुपया कम होगी। इसलिये मुझे आशा है कि रिजर्व बैंक से पूरे साल कोई खास सहायता लिये बगैर, अगले साल बाजार से ऋण लेने का लक्ष्य पूरा हो जायगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले अक्तूबर महीने के बाद से हमने आवश्यकता होने पर प्राप्त होने वाले आपातिक (इमर्जेन्सी) बाजार ऋण जारी किये हैं। अब चूंकि अगले साल के लिये बाजार से समेकित रूप से ऋण लेने के कार्यक्रम का प्रस्ताव है, इसलिये आवश्यकता होने पर प्राप्त किये जाने वाले आपातिक ऋणों को अगले मार्च महीने की समाप्ति पर बंद कर दिया जायगा।

26. छोटी बचतों और वार्षिकी जमा-पत्रों (एन्युइटी डिपाजिट्स) के संबंध में भी मैंने चालू साल की प्रत्याशित प्राप्ति की तुलना में वास्तविक वृद्धि नहीं दिखलायी। ऋणों की वापसी, विविध, ऋण और जमा शीर्षकों की प्राप्तियों और 210 करोड़ रुपये के राजस्व-अधिशेष को हिसाब में लेने पर, अगले वर्ष आयोजना और गैर-आयोजना संबंधी कुल पूंजी परिव्यय (केपिटल आउटले) के लिये जो कुल बजट-साधन दिखायी देते हैं उन की रकम 1835 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी।

27. मैंने इस बात पर विचार किया है कि क्या अगले वर्ष के पूंजी-परिव्यय को उन्हीं सीमाओं के अंदर नहीं रखा जा सकता, जो दृष्टिगत साधनों द्वारा, जिनका जिक्र मैंने अभी ही किया है, निर्दिष्ट कर दी गयी हैं। दुर्भाग्य से, यद्यपि अगले वर्ष के कुल पूंजी परिव्यय में—जिसमें पी० एल० 480 के ऋणों और ऋण संबंधी वितरणों का सांकेतिक समायोजन (नेशनल एडजस्टमेण्ट) शामिल नहीं है—चालू वर्ष के स्तर की अपेक्षा काफी कमी दिखायी देगी, फिर भी परिव्ययों को दृष्टिगत साधनों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर ही रखना संभव नहीं होगा। यहां भी, ऐसी कई मदें हैं, जैसे कि ऋणों की अदायगियां जहां परिव्यय की वृद्धि से बचा नहीं जा सकता। अगले वर्ष 314 करोड़ रुपये के ऋणों की वापसी की जायगी, यह रकम चालू वर्ष की रकम से 45 करोड़ रुपया अधिक है। यद्यपि अगले वर्ष के रक्षा-संबंधी पूंजी-परिव्यय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होगी, फिर भी रासायनिक खादों, बीजों और हानिकर जीवों को नष्ट करने की दवाएं खरीदने और बांटने के लिये ऋण देने के लिये 20 करोड़ रुपये की और सूखा-पीड़ितों की सहायता के लिये 12 करोड़ रुपये के ऋण देने की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। वित्तीय संस्थाओं को अंशदान देने की व्यवस्था में भी 7½ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

28. आयोजना संबंधी उन योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये भी जिन पर काम हो रहा है, खर्च की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खासकर उस स्थिति में जब उनकी आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जा चुकी है। अगले वर्ष के लिये जिन महत्वपूर्ण वृद्धियों का प्रस्ताव है उन में से कुछ का संबंध बोकारो के इस्पात के कारखाने और परमाणु शक्ति (एटामिक इनर्जी) से है जिन के लिये क्रमशः 13 करोड़ रुपया और 18 करोड़ रुपया अधिक निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों को ऋणों के रूप में दी जाने वाली आयोजना संबंधी सहायता में 135 करोड़ रुपये की कमी और रेलों के पूंजी-परिव्यय में 59 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है। लेखा जोखा मिलाने पर, और कई विविध मदों को हिसाब में लेने के बाद, अगले वर्ष ऋणों की राशि के वितरण और ऋणों की अदायगी (वापसी) को मिलाकर कुल पूंजी-परिव्यय की राशि 1952 करोड़ रुपया होगी और इस प्रकार चालू वर्ष की तुलना में अगले साल 296 करोड़ रुपये की कमी दिखायी देगी।

29. पूंजी-परिव्यय के रूप में केन्द्र और राज्य अगले वर्ष अनुमानतः 2081 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, अर्थात् चालू वर्ष के बजट आयोजना परिव्यय के 2225 करोड़ रुपये से 144 करोड़ रुपया कम। नागालैंड की आयोजना को छोड़ कर, राज्यों की आयोजनाओं पर 926 करोड़ रुपया और केन्द्रीय आयोजना पर 1155 करोड़ रुपया खर्च होगा। जहां तक राज्यों के परिव्यय का प्रश्न है 505 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता से दिया जायगा और 421 करोड़ रुपया सम्बद्ध राज्यों के साधनों से। केन्द्रीय आयोजनाओं के लिये 189 करोड़ रुपये तक की रकम रेलों के आन्तरिक साधनों, डाक और तार विभाग, हिन्दुस्तान स्टील, राष्ट्रीय तेल निगम (इंडियन आयल कारपोरेशन), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल

ऐंड नेचरल गैस कमिशन) और सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के साधनों से प्राप्त होगी, जिनमें विदेशी मुद्रा साधन भी सम्मिलित हैं, जो सीधे इन्हीं के द्वारा जुटाये जायेंगे। 1471 करोड़ रुपये की बाकी रकम के लिये, जिसमें राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता का 505 करोड़ रुपया संघीय राज्य क्षेत्रों को देने के लिये 56 करोड़ रुपया और नागालैंड को देने के लिये 4 करोड़ रुपया, तथा राजस्व खाते से, केन्द्रीय आयोजना के लिये दिया जाने वाला 143 करोड़ रुपया शामिल है, बजट में व्यवस्था कर दी गयी है।

30. विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत, आयोजना-परिव्यय के वितरण में उस उच्च प्राथमिकता का ध्यान रखा गया है, जो आज की स्थिति में कृषि-विकास के शीघ्र फल देने वाले कार्यक्रमों और अपूर्ण आयोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिये दी जानी चाहिये। कुछ सीमा तक अगले वर्ष के आयोजना-परिव्यय से चालू वर्ष की आयोजना-व्यवस्था (प्राविजन) की तुलना करना इस अर्थ में भ्रामक है कि किसी भी आयोजना अवधि में आयोजना में सम्मिलित किये गये परिव्यय का एक भाग बचतबद्ध हो जाता है और अगली आयोजना-अवधि के प्रारम्भ से वह गैर-आयोजना परिव्यय समझा जाने लगता है। ऐसा होते हुए भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बजट संबंधी कठिनाइयों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि अगले वर्ष आयोजना और गैर-आयोजना दोनों के खर्च के संबंध में बहुत अधिक सावधानी से काम लिया जाय। दिखायी देने वाले साधनों और केन्द्र के बजट में व्यय के लिये की गयी उस कुल व्यवस्था के बीच, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा, जो अन्तर है उस पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये।

31. प्रचलित शब्दावली में, अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट-स्थिति का सारांश यह है : राजस्व खाते में 210 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा। पूंजी खाते से, पी० एल० 480 के ऋणों के सांकेतिक समायोजन को छोड़ कर, कुल 1952 करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा। इसे, राजस्व-अधिशेष के अलावा, 744 करोड़ रुपये के देशी और विदेशी ऋणों, छोटी बचतों के 135 करोड़ रुपये के संग्रह, पी० एल० 480 की निधि में 230 करोड़ रुपये की नयी जमा रकमों, 44 करोड़ रुपये की वार्षिकी (एनुइटी) जमा-पत्रों की रकमों, 370 करोड़ रुपये की ऋणों की वापसी और 'विविध ऋण और जमा' शीर्षकों के अन्तर्गत 102 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से पूरा किया जायगा, जिससे बजट में कुल 117 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

32. जो कुछ मैंने पहले कहा है उसे देखते हुए माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि मेरी उत्कट इच्छा रही है कि राजस्व खाते के व्यय और पूंजी खाते के परिव्यय (आउटले) को उपलब्ध साधनों की सीमा में रखने की सरल प्रणाली द्वारा घाटे से बचा जाय। मैंने इस सम्भावना की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया है। राजस्व खाते के व्यय को कम रखा गया है। लेकिन, जहां तक आयोजना सम्बन्धी खर्चों का सम्बन्ध है, अत्यावश्यक और उत्पादनकारी विकास के लिए जो भी आवश्यक है उस के लिए व्यवस्था करना जरूरी है, खासकर खेती और उन योजनाओं के लिए जो चल रही हैं। इस उद्देश्य के साथ संगति बिठाने के लिए आयोजना के खर्चों को भी कम से कम रखा गया है। और अधिक कमी करने से खेती की पैदावार में रुकावट आयेगी और अर्थव्यवस्था का विकास खतरे में पड़ जायगा।

33. इसलिए, मेरे लिए आवश्यक है कि अतिरिक्त साधन जुटा कर घाटे को पूरा करूं। यह काम मैंने ऐसे तरीकों से करने का यत्न किया है जिन से कम से कम गड़बड़ी और कठिनाई पैदा होती है और अधिक से अधिक सरलता सुनिश्चित हो जाती है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछला बजट पेश करते हुए मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने, व्यवस्थित विकास के लिए आशाओं का उपयुक्त वातावरण तैयार करने की दृष्टि से, करों के ढांचे में स्थायित्व और सरलता लाने के महत्व पर जोर दिया था। पिछले अगस्त महीने में जो अनुपूरक बजट पेश किया गया उस के द्वारा इस प्रक्रिया को एक कदम आगे बढ़ाया गया, खासकर आयात शुल्कों को युक्तिसंगत आधार पर लाने के लिए। अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों का प्रस्ताव करते हुए मैंने इन बुनियादी उद्देश्यों का बहुत ध्यान रखा है। ऐसा करते हुए भी, मैंने कई परिवर्तनों और राहतों का प्रस्ताव रख कर, सरलीकरण की इस प्रक्रिया को एक कदम और आगे ले जाने का यत्न किया है। अब मैं अपने प्रस्तावों को विस्तार से स्पष्ट करूंगा।

34. मैं पहले अप्रत्यक्ष करों को ले रहा हूं और मेरा प्रस्ताव है कि सीमा-शुल्कों (कस्टम्स ड्यूटीज) को यों ही छोड़ दिया जाय, क्योंकि उन्हें कुछ महीने पहले ही युक्तिसंगत आधार पर लाकर बढ़ाया गया था। फिर भी, मेरा प्रस्ताव है कि कुछ चीजों पर लगने वाले उत्पादन शुल्कों में वृद्धि की जाय, और यह सिर्फ राजस्व में वृद्धि करने के खयाल से ही नहीं, बल्कि उन मामलों में खपत को नियंत्रित करने के लिये भी, जहां कठिनाइयों को बहुत ज्यादा बढ़ाये बगैर ऐसा किया जा सकता है और निर्यात-योग्य वस्तुओं के अधिशेष (सर्प्लस) को बढ़ाने के लिए भी। दो नयी चीजों, अर्थात् प्रकाशकीय विरंजक पदार्थों (आप्टिकल ब्लीचिंग एजेण्ट्स) और कृत्रिम प्रक्षालकों (सिंथेटिक डिटर्जेण्ट्स) पर पहली बार शुल्क लगाया जायगा।

35. दानेदार चीनी का उत्पादन शुल्क प्रति क्विंटल 28.65 से बढ़ाकर 37 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जायगा। इसी हिसाब से खांडसारी के शुल्क में भी वृद्धि कर दी जायगी। दोनों से 21.93 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। यह ठीक है कि इस शुल्क का सारा बोझ उपभोक्ता (कंज्यूमर) पर पड़ेगा, तो भी दानेदार चीनी के सम्बन्ध में यह भार प्रति किलोग्राम 8 से 9 पैसे ही होगा। चूंकि आशा है कि मांग पूरी करने के लिए चीनी काफी परिमाण में मिल सकेगी, इसलिए कुछ ऐसी सम्भावना भी है कि शुल्क का सारा बोझ शायद उपभोक्ता पर न पड़े।

36. सिगार और सिगरटों के शुल्क में और साथ ही सिगरट व पाइप का मिसरण (मिक्सचर) तम्बाकू तयार करने के काम आने वाले अमिश्रित तम्बाकू के शुल्क में भी लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जायगी। इन वृद्धियों से 9.01 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस वृद्धि का भार कीमती सिगरटों के हर पैकेट पर लगभग 5 पैसे और इन की बनिस्बत सस्ते सिगरेटों के हर पैकेट पर 1 से 2 पैसे होगा।

37. उस डीजल आइल (तेल) के उत्पादन शुल्क में, जिस का और तरह से उल्लेख न हो, जैसे कि हलका डीजल, 60 रुपये प्रति किलो लिटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ताकि यह भी उन शुल्कों के स्तर पर आ जाय, जो पैट्रोलियम की दूसरी चीजों पर लगे हुए हैं ताकि अवांछनीय मिलावटों से बचा जा सके। अनुमान है कि इससे 5.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

38. कपड़े की उन बारीक किस्मों की खपत कम करने के लिए, जिन के लिए विदेशी कच्चे की जरूरत पड़ती है, मैं सूती धागे और सूती कपड़े के शुल्कों में, छंटाई के आधार पर, वृद्धि करना चाहता हूं। मोटे काउंट (सूत्रांक) के धागे के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है,

यह वृद्धि केवल परिष्कृत (प्रोसेस्ड) कपड़े के सम्बन्ध में की जायगी, जैसे कि रेशम सी चिकनी (मर्सराइज्ड), न सिकुड़ने वाली और अरगण्डी जैसी किस्मों के कपड़े के सम्बन्ध में। अनुमान है कि धागे के शुल्क में वृद्धि होने से 7.23 करोड़ रुपये और कपड़े के शुल्क में वृद्धि होने से 6.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस तरह रेयन और कृत्रिम धागे के शुल्कों में भी थोड़ी वृद्धि की जा रही है जिस से 50 लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

39. कुछ दूसरी मदों, जैसे कि सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइ-आक्साइड के उत्पादन शुल्कों में भी वृद्धि की जा रही है और कागज के गत्तों के सम्बन्ध में खण्ड प्रणाली के आधार पर दी जाने वाली रियायतों में कमी की जा रही है। अनुमान है कि इन तीनों मदों से 1.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। प्रकाशकीय विरंजक पदार्थों (आप्टिकल ब्लीचिंग एजेण्ट्स) और कृत्रिम प्रक्षालकों (सिंथेटिक डिटर्जेण्ट्स) के नये शुल्कों से 58 लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। जो छोटे-छोटे कारखाने मोटर गाड़ियों के ठेले (ट्रेलर) बनाते हैं उन्हें कुछ राहत देने के लिये उन ठेलों पर लगने वाला 5 प्रतिशत का मूल्यानुसार (एड वेलोरम) शुल्क समाप्त कर दिया जायगा, जो ऐसे कारखानों में बनाये जाते हैं जहां पांच से ज्यादा मजदूर काम नहीं करते। सब मिलाकर, उत्पादन शुल्कों के प्रस्तावित परिवर्तनों से और साथ ही प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्कों में तदनुरूप वृद्धि होने से, 52.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिस में से राज्यों का हिस्सा 10.07 करोड़ रुपया होगा। इस तरह केन्द्रीय साधनों में 42.79 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी।

40. अब मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूं। व्यक्तिगत करों के क्षेत्र में, जिन कुल आमदनियों पर कर नहीं लगता मैं उन की वर्तमान सीमा में 500 रुपये की वृद्धि करना चाहता हूं। इसी तरह, मैं उन मौजूदा व्यक्तिगत छूटों में भी 500 रुपये की वृद्धि करना चाहता हूं जिन पर निवासी (रेजीडेण्ट) व्यक्तियों और अविभक्त (अनडिवाइडेड) हिन्दू परिवारों को कर सम्बन्धी राहत दी जाती है। इस तरह, व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट की सीमा 3,000 रुपये से बढ़ा कर 3,500 रुपये, अविवाहित व्यक्ति को मिलने वाली व्यक्तिगत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और एक से अधिक आश्रित बच्चे वाले विवाहित व्यक्ति को मिलने वाली व्यक्तिगत छूट की सीमा 4,300 रुपये से बढ़ा कर 4,800 रुपये कर दी जायगी। इन परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि राजस्व में 3.5 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। ऐसा करने का मुख्य कारण करदाताओं के ऐसे वर्ग को कुछ राहत देना है जो इसे पाने का हकदार है। लेकिन इस व्यवस्था से कर विभाग के अधिकारियों के काम में भी तेजी आ जायगी, क्योंकि इस से कर-निर्धारण के बहुत से छोटे-छोटे मामलों के समाप्त हो जाने से वे अपेक्षाकृत बड़ी-बड़ी आमदनियों से कर वसूल करने की ओर ज्यादा और तेजी से ध्यान दे सकेंगे।

41. इन्हीं कारणों से, 'वार्षिकी जमा' (एनुइटी डिपाजिट) की छूट की सीमा को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर देने का मेरा प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से, जिन व्यक्तियों को वार्षिकी जमा योजना के अनुसार रकम जमा करानी पड़ती है उन की संख्या 1,76,000 से घटकर सिर्फ 80,000 रह जायगी, जब कि प्राप्तियों में कमी, आयकर में होने वाली 2.42 करोड़ रुपये की तुल्य वृद्धि को हिसाब में लेने के बाद, सिर्फ 7 करोड़ रुपये की होगी। लेकिन, मैंने यह व्यवस्था कर दी है कि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी, यदि वार्षिकी जमा के अन्तर्गत रुपया जमा कराना चाहेंगे तो ऐसा कर सकेंगे और इस तरह जमा की हुई रकमों पर कर की छूट ले सकेंगे। जो एक और छोटा सा परिवर्तन मैं करना चाहता हूं वह यह है कि आगे से, 70 साल की उम्र में पहुंचने वाले व्यक्तियों को वार्षिकी जमा योजना से निकलने की छूट दी जाय और इस बात का खयाल न किया जाय कि वे पहले वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत रुपया जमा कराने को कानूनी तौर पर बाध्य थे या नहीं।

42. ये राहतें देने के बाद, सभी अ-निगमी (नान-कारपोरेट) करदाताओं द्वारा कमायी और बगैर कमायी हुई आमदनियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली, आय कर और अधिभार (सरचार्ज) की रकम के 10 प्रतिशत की समान (फ्लैट) दर से विशेष अधिभार (फ्लैट स्पेशल सरचार्ज) लगाने का मेरा प्रस्ताव है। इस विशेष अधिभार से 25.6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

43. जहां तक दूसरे व्यक्तिगत करों का सम्बन्ध है, व्यय कर (एक्सपेंडीचर टैक्स) को हटा लेने का मेरा प्रस्ताव है। यह मैं प्रशासनिक कारणों से कर रहा हूं। इस कर से बहुत थोड़ी सी प्राप्ति होती है, यानी सिर्फ 60 लाख रुपये की या इसी के आस-पास, पर इस के मुकाबले प्रशासन पर जो बोझ पड़ता है और कर दाताओं को जो असुविधा होती है वह कहीं ज्यादा होती है। मैं मानता हूं कि बचत को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, आयकर के स्थान पर व्यय-कर को अधिक से अधिक लाना, विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ सिद्धान्त है। आयकर से हमारे राजस्व में जो प्राप्ति होती है और व्यय का निर्धारण करने में जो प्रशासनिक कठिनाइयां होती हैं और कर दाताओं को जो असुविधा होती है उसे देखते हुए इस विकल्प, अर्थात् आयकर के स्थान पर व्यय-कर को अभी किसी बड़े पैमाने पर लागू करना सम्भव नहीं है।

44. दान-कर (गिफ्ट टैक्स) की दरों में परिवर्तन करने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि वे और भी ज्यादा, मृत सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) की दरों के स्तर पर आ जायें। इस प्रक्रिया में, दान के मूल्य के विभिन्न खण्डों पर लागू होने वाली दरों में भी कमी की जा रही है। इस तरह छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा रही है, 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के खण्ड की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा रही है और 15,00,000 रुपये तक, बाद के खण्डों की दरें विभिन्न प्रतिशतों के हिसाब से घटायी जा रही हैं। लेकिन 50 प्रतिशत की मौजूदा अधिकतम सीमान्त (मार्जिनल) दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा पर यह 15 लाख रुपये से ऊपर के खण्ड पर लागू होगी। कई वर्ष तक एक ही आदाता यानी दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिये गए दानों के राशीकरण (एग्रिगेशन) के उपबन्ध को हटा देने का भी मेरा प्रस्ताव है। इस उपबंध का उद्देश्य, अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर मृत संपत्ति शुल्क और दान कर देने से बचने को रोकना था। लेकिन यह ऐसी व्यवस्था है जिसकी व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई, खासकर उस स्थिति में जब प्रशासन और करदाताओं के समय और असुविधा का हिसाब लगाया जाय। लेकिन कुछ सीमा तक इस व्यवस्था की कमी पूरी करने के लिये मृत सम्पत्ति शुल्क अधिनियम में संशोधन करके मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि जो दान मृत्यु से दो वर्ष के अंदर दिये गये होंगे उन्हें संपत्ति का अंश समझा जायगा। अभी यह अवधि एक वर्ष है। मैंने इस अवसर पर मृत संपत्ति शुल्क के कुछ मध्यवर्ती खंडों की दरों में भी वृद्धि की है, जैसे कि 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत, 3½ लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत से बढ़ कर 25 प्रतिशत और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है। दान कर में परिवर्तन होने से राजस्व में 1.71 करोड़ रुपये की कमी होगी, जबकि मृत संपत्ति शुल्क में, जो राज्यों को प्राप्त होगा, परिवर्तनों से लगभग 70 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

45. मृत सम्पत्ति शुल्क में एक और परिवर्तन करने का मेरा विचार है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि देश की सीमाओं की रक्षा का काम करते हुये मारे जाने वाले पुलिस बल के सिपाहियों की सम्पत्ति को भी उसी प्रकार छूट दी जायगी, जिस प्रकार सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के संबंध में दी जाती

है। मैंने इस बारे में व्यवस्था कर दी है। मेरा ख्याल है कि देश-रक्षा के कार्य में पुलिस दल के कर्मचारियों ने जिस साहस और संकल्प का परिचय दिया है, यह उसकी स्वीकृति है, यद्यपि थोड़ी ही।

46. अन्त में, मैं व्यक्तिगत करों में किये जाने वाले एक परिवर्तन का उल्लेख करना चाहूंगा, जो निगम करों के संबंध में मेरे प्रस्तावों के विषय-प्रवेश के रूप में होगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस समय जब सामान्य शेयर के किसी मालिक को बोनस शेयर दिया जाता है, तो उसे होने वाले सांकेतिक पूंजीगत लाभ (नोशनल केपिटल गेन) पर आयकर लग सकता है। इस व्यवस्था को समाप्त करने और इस की जगह यह व्यवस्था करने का मेरा विचार है कि कर संबंधी देनदारी तभी पैदा होगी जब पूंजीगत लाभ वास्तव में प्राप्त होगा। इस व्यवस्था से राजस्व में केवल 7 लाख रुपये की कमी होने का अनुमान है।

47. अब मैं निगम करों (कारपोरेट टेक्सेशन) को लेता हूं। व्यक्तिगत करों की तरह भी, कुछ राहतें देने का मेरा विचार है, जिन्हें मैं विकास के लिये उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिये जरूरी समझता हूं। इसके साथ ही, निगम (कारपोरेट) आमदनियों पर लगने वाले करों की सामान्य दरों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। अब मैं इन प्रस्तावों का कुछ विस्तार से स्पष्टीकरण करूंगा।

48. देशी (डोमेस्टिक) कंपनियों पर, उनके द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों की रकम के आधार पर 12.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले मौजूदा कर को समाप्त कर दिया जायगा। इससे राजस्व में केवल 9 लाख रुपये की कमी होगी।

49. इस समय, उन कंपनियों पर लगने वाला 7.5 प्रतिशत का लाभांश (डिविडेंड) कर, जिन पर यह लग सकता है, आम तौर पर पिछले वर्ष घोषित किये गये या बांटे गये लाभांश की पूरी रकम पर लग सकता है। अब यह व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है कि यह कर, सामान्य पूंजीपर घोषित किये गये या बांटे गये लाभांश के केवल उस भाग पर लग सकेगा, जो चुकता सामान्य पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हो। इससे राजस्व में 4.8 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

50. कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में दी गयी अधिकर की 40 प्रतिशत की मौजूदा दर को घटा कर 35 प्रतिशत करने का भी मेरा प्रस्ताव है। अनुमान है कि इससे राजस्व में 2.5 करोड़ रुपये की कमी होगी।

51. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसी के साथ ही, कम्पनियों पर लगने वाले बुनियादी निगम कर की प्रभावी (इफेक्टिव) दरों को बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। इस प्रकार जीवन-बीमा संबंधी कारबार से होने वाले लाभ पर लगने वाले कर की दर को 47.5 प्रतिशत से बढ़ा कर, 52.5 प्रतिशत किया जायगा। ऐसी देशी (डोमेस्टिक) कम्पनियों के संबंध में जिसमें जनता के काफी शेयर हों और जिनकी कुल आमदनी 25,000 रुपये से अधिक न हो, कर की दर 42.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत और इन में से जिनकी आमदनी और अधिक होगी उनके कर की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की जा रही है। अधि-नियंत्रित (क्लोजली-हेल्ड) कम्पानियों के संबंध में भी मौजूदा सामान्य दर को 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत, और औद्योगिक कम्पानियों की पहले दस लाख रुपये की आमदनी पर लगने वाले कर की रियायती दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। विदेशी कम्पनियों के बारे में, कुछ स्वीकृत करारों के अन्तर्गत, स्वत्व-शुल्क (रायल्टी) और तकनीकी सेवा शुल्क (फीस) पर लगने वाले कर की प्रभावी दर वही रहेगी जो अब है, अर्थात 50 प्रतिशत, लेकिन उनकी दूसरी आमदनियों पर 70 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, जबकि

इस समय 65 प्रतिशत की दर से लगता है। इसी तरह हमारे उद्योगों को राजस्व संबंधी कुछ प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि वे नव-विकासशील देशों को तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करने के लिये उत्साहित हों। इसलिये किसी भारतीय कम्पनी को, उसके द्वारा उपलब्ध की गयी तकनीकी जानकारी या तकनीकी सेवा के बदले दिये गये शेयरों पर किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश के संबंध में कर की रियायती दर की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है। यह रियायती दर 25 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करने पर किसी भारतीय कंपनी को किसी विदेशी कंपनी से प्राप्य रायल्टी, कमीशन शुल्कों आदि के संबंध में भी 25 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगेगा। निगम करों की बुनियादी दरों में परिवर्तन करने से, राजस्व में अधिकर (सरटैक्स) के अन्तर्गत होने वाली 5.6 करोड़ रुपये की कमी को हिसाब में लेते हुए, 43.46 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है।

52. माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस समय हमारे पास प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की अलग-अलग अनुसूचियां हैं; एक वह जिसमें शामिल उद्योगों को 35 प्रतिशत की अपेक्षा कुछ ऊंची दर से विकास छूट प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है और दूसरी वह जिसके अनुसार बुनियादी निगम करों के सम्बन्ध में रियायत मिलती है। विकास छूट के प्रयोजन के लिये, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में चाय, अखबारी कागज और छपाई की मशीनों के तीन और उद्योगों को शामिल करके, इस सूची को बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। कर की दर में रियायत के प्रयोजन के लिए भी वही सूची लागू होगी। लेकिन सरलता लाने के उद्देश्य से, रियायत के स्वरूप में परिवर्तन करने का मेरा प्रस्ताव है। इस समय कम्पनियों को, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों से होने वाली उनकी आमदनी के सम्बन्ध में आयकर और अधिकर में विशेष छूट दी जाती है। इसके स्थान पर, सम्बद्ध कम्पनियों की कुल कर योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से हुए लाभ में सीधे 8 प्रतिशत की कमी कर देने का मेरा प्रस्ताव है। छूट देने के इस सीधे तरीके से, कर सम्बन्धी देनदारी का हिसाब लगाने का काम काफी सरल हो जाना चाहिए।

53. इस समय जो वास्तविक विकास छूट दी जाती है उसके 75 प्रतिशत भाग का प्रारक्षित निधि (रिजर्व) में डाला जाना जरूरी है। जहाजरानी (शिपिंग) उद्योग के सम्बन्ध में, इस भाग को घटा कर 50 प्रतिशत कर देने का मेरा प्रस्ताव है, ताकि इस उद्योग में, जहां लाभ का स्तर अपेक्षाकृत नीचा है, नयी पूंजी लगाये जाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सके।

54. हमारे चाय बागानों के विस्तार और नवीकरण के लिये और भी प्रोत्साहन देने के लिए, विकास छूट (डेवलपमेंट अलाउंस) देने के बारे में कानून के मौजूदा उपबन्धों को उदार बनाने का मेरा प्रस्ताव है। सबसे पहले, नये पौधे लगाने के लिए विकास छूट की मौजूदा दर को, जो पौधे लगाने की वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत है, बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया जायगा और फिर से रोपने (रीप्लान्टिंग) के सम्बन्ध में उसे 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत कर दिया जायेगा। दूसरे, मेरा प्रस्ताव है कि छूट दो दरों में दी जाय; पहले, उस वर्ष के बाद के वर्ष के लिए, जब पौधे लगाने या उन्हें फिर से रोपने के लिए जमीन तैयार की गयी हो, उस वर्ष तक किये गये खर्च के आधार पर दी जाय और बाकी चौथे वर्ष के लिए। यह व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था का स्थान ले लेगी जिसके अन्तर्गत सारी छूट केवल चौथे वर्ष के लिए दी जाती है।

55. इमारतों, फर्नीचर, संयंत्र और मशीनों आदि के सम्बन्ध में दिये जा सकने वाले मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) की दर-सूची बहुत ही पेचीदा बन गयी है । हाल की घटनाओं को देखते हुए, स्थिति की समीक्षा करना और उपयुक्त परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, ताकि यह सूची यथितंगत हो जाये और सरल भी । इसलिए अगले कुछ महीनों में इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन शुरू कर देने का मेरा विचार है । इस समीक्षा के समय, बागान श्रमिक आवासन सम्बन्धी कार्यकारी दल, (वर्किंग ग्रूप आन प्लांटेशन लेबर हाउसिंग) की सिफारिशों का भी ध्यान रखा जायगा । इसी बीच, यह व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है कि संयंत्र और मशीनों की छोटी, छोटी मदों की जिनकी कीमत 750 रुपया प्रति एकक से अधिक न हो, पूरी लागत का मूल्य ह्रास एक वर्ष में घटाने की अनुमति दी जाये। नियोजकों द्वारा बनायी गयी नयी इमारतों के सम्बन्ध में, जिन में 7,500 रुपये तक वार्षिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहते हों या उनका उपयोग करते हों, 20 प्रतिशत का प्रारम्भिक मूल्यह्रास घटाने की अनुमति देने का भी मेरा प्रस्ताव है । इस समय केवल उन इमारतों के सम्बन्ध में इसकी अनुमति है, जिनमें 200 रुपये मासिक तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी रहते हों या उनका उपयोग करते हों।

56. इस समय जब विकास छूट दी जाती है, तो यह जरूरी होता है कि सम्बन्धित संयंत्र और मशीनें, आठ वर्ष की अवधि के लिए करदाता के अधिकार में रहें, ऐसा न होने पर, दी गयी छूट वापस ली जा सकती है । लेकिन यदि इस प्रकार के संयंत्र के अन्तरण, कम्पनियों के एकीकरण के दौरान किया जाता है, जिसमें सहायक कम्पनी का मूल (पेरेन्ट) कम्पनी में विलय होना शामिल है, तो विकास छूट वापस नहीं ली जाती है । लेकिन, इसके साथ शर्त यह कि विलय होने वाली सहायक कम्पनी भारतीय कम्पनी हो। मुझे विदेशी सहायक कम्पनियों को यह रियायत न देने का कोई औचित्य दिखायी नहीं देता, क्योंकि इससे इन कम्पनियों के मूल कम्पनियों में विलय होने के रास्ते में रुकावट पड़ती है । इसलिए, इस अयोग्यता को समाप्त कर देने का मेरा प्रस्ताव है ।

57. इस समय, उन स्वीकृत वित्तीय निगमों को, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए लम्बी अवधि के लिए धन की व्यवस्था करने का काम करती हैं, अपने लाभ का हिसाब लगाते समय, अपनी कुल आमदनी के 10 प्रतिशत भाग के बराबर की कटौती करने का अधिकार है जिसे विशेष प्रारक्षित निधि खाते में डाला जाता है । इस उद्देश्य से कि अपेक्षाकृत छोटे वित्तीय निगम अपने वित्तीय साधनों का निर्माण तेजी से कर सकें, उन निगमों के सम्बन्ध में, जिनकी चुकता पूंजी 3 करोड़ रुपये से अधिक न हो, कटौती की दर को कुल पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है । इससे मुख्यतः उन वित्तीय निगमों को लाभ होगा, जो प्रादेशिक आधार पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं ।

58. अधि-नियंत्रित (क्लोजली होल्ड) कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का मेरा प्रस्ताव है । पहले, यह निर्धारित करने के लिए कि किस कम्पनी को अधि-नियंत्रित समझा जाय, मेरा प्रस्ताव है कि इनमें से उन कम्पनियों के सम्बन्ध में, जो मुख्यतः कुछ खास वस्तुओं के निर्माण या जहाज बनाने के काम में लगी हैं, इस शर्त को, कि उस में जनता के पर्याप्त शेयर हैं, पूर्ण समझ लिया जाय, यदि उनके 50 प्रतिशत सामान्य शेयरों की जगह जैसा कि अभी होता है, 40 प्रतिशत ऐसे शेयर सरकार, पब्लिक कारपोरेशनों और जनता के पास हैं । दूसरे, उन कम्पनियों को, जो मुख्यतः जहाज बनाने के काम में लगी हुई हैं, इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जायगा कि वे साधिकि प्रतिशत तक अपने लाभ का वितरण कर दें । उन कम्पनियों के लिए भी, जो आंशिक रूप से वस्तुओं के निर्माण में लगी

हुई हैं, ये जरूरी नहीं होगा कि वे इन कार्यों से होने वाले अपने लाभ का अनिवार्य वितरण करें । अन्त में, इस समय किसी अधि-नियंत्रित कम्पनी द्वारा किये गये कुछ किस्मों के खर्चों के सम्बन्ध में, कर सम्बन्धी देनदारियों को, निर्धारित करने के प्रयोजन से, छूट नहीं दी जाती । लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण दिखायी नहीं देता कि इस प्रकार की कम्पनी की बांटी जा सकने वाली आमदनी का हिसाब लगाते समय इस प्रकार के व्यय को घटाया क्यों नहीं जाना चाहिए । इसके लिए व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है ।

59. माननीय सदस्यों को मालूम है कि राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के सम्बन्ध में राजस्व सम्बन्धी कुछ रियायतें पहले ही दी जा चुकी हैं । इस प्रकार, इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त बैंक पत्रों (सर्टीफिकेट) की खरीद से होने वाले पूंजीगत लाभ पर उसी रियायत की दर से कर लग सकेगा जो लम्बी अवधि के पूंजीगत लाभों पर लागू होती है, भले ही धारक (होल्डर) द्वारा इन शेयरों को, उनके प्राप्त करने की तारीख से लेकर 12 महीने तक की अवधि के अन्दर-अन्दर अन्तरित कर दिया गया हो । यदि कोई अनिवासी (नान-रेजीडेन्ट) इस योजना के अधीन प्रेषण (रेमिटेंस) करके भारत में किसी निवासी को विदेशी मुद्रा का दान दे, तो उस पर दान-कर (गिफ्ट-टैक्स) नहीं लगेगा । मैंने सम्बद्ध अधिनियमों में इन रियायतों के लिए व्यवस्था कर दी है ।

60. छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में लगायी जाने वाली थोड़ी पूंजी के सम्बन्ध में, उद्गम स्थान पर ही कर की कटौती करने की आवश्यकता को, कुछ शर्तों के साथ समाप्त कर दिया जायगा । इसी प्रकार भारतीय राज्य बैंक की मार्फत जारी किये जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों की नयी शृंखलाओं (सीरीज) पर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में भी वही रियायत दी जायगी, जो राष्ट्रीय बचत पत्रों की मौजूदा शृंखलाओं के सम्बन्ध में दी जाती हैं । यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में, 1,000 रुपये तक की आमदनी को, सभी करदाताओं के मामले में, चाहे उनकी दूसरी आमदनी की रकम कुछ भी हो, कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिए कुल आमदनी में शामिल नहीं किया जायगा । इससे, सरलता होने के साथ-साथ, यूनिट ट्रस्ट में पूंजी लगाने के लिए भी पहले से अधिक बढ़ावा मिलेगा ।

61. अन्त में, मैं कुछ और परिवर्तनों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो मैंने सरलता लाने या पहले से अच्छे प्रशासन के लिए प्रस्तावित किये हैं । मेरा प्रस्ताव है कि करदाताओं की कुल आमदनी को उसके सबसे निकट के दस रुपये के गुणित तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए और कर, जुर्माने और वापिसी आदि की रकम को उस के निकटतम एक रुपये के गुणित तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए । आडम्बरपूर्ण उपभोग पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव है कि व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए ली गयी मोटरकारों के मूल्यह्रास का हिसाब लगाते समय 25,000 रुपये से अधिक के क्रयमूल्य को हिसाब में नहीं लिया जायगा । कानून के अनुसार जिन लोगों पर उद्गम स्थान पर ही कर की रकम काट लेने की जिम्मेदारी है, उनसे, इन जिम्मेदारियों की पूर्ति में चूक हो जाने पर, चूक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य दर से ब्याज लिया जायगा । एक अन्य संशोधन का सम्बन्ध, धर्मार्थ न्यासों (चेरिटेबल ट्रस्ट) और संस्थाओं की आय को आयकर से मुक्त करने से है । यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी धर्मार्थ न्यास या प्रतिष्ठान की आमदनी या सम्पत्ति के किसी भाग का उपयोग या विनियोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों, जिनका उस न्यास या प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के साथ, उसके निर्माता (आथर) या महत्वपूर्ण अंशदाता के रूप में

निकट का सम्बन्ध हो, या उनके सम्बन्धियों के लाभ के लिये किये जायगा, तो वह न्यास या संस्था छूट का अधिकार खो बैठेगी ।

62. अब तक मैंने जिन कर-प्रस्तावों का उल्लेख किया है उनके प्रभाव का सारांश बताने से पहले मैं दो प्रस्ताव रखना चाहूंगा जिनका उद्देश्य राज्यों के लाभ के लिए साधन जुटाना है । पहला प्रस्ताव, अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में है । यह 1 जुलाई, 1966 से लागू होगा । इस वृद्धि से राज्यों को पूरे वर्ष में 19 करोड़ रुपये की और 1966–67 में 9.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी । चूंकि नयी दरें 1 जुलाई, 1966 से लागू होंगी और चूंकि एक तिमाही में वसूल की जाने वाली रकमें, अगली तिमाही में वसूल की जाती हैं, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में केवल दो तिमाहियों में अतिरिक्त प्राप्तियां होंगी इसी प्रकार, संघीय राज्य क्षेत्रों में होने वाली वसूलियों में भी, जो भारत की समेकित निधि का अंग होती है, पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपये की और 1966–67 में 50 लाख रुपये की वृद्धि होगी ।

63. दूसरा प्रस्ताव यह है कि जिन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की दृष्टि से विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित किया गया है उनके बिक्री कर की निर्धारित उच्चतम सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाय । यह एक अनुज्ञात्मक (पर्मिसिव) संशोधन है और इससे राज्यों को, यदि वे चाहें तो, कोयले, रूई, सूती धागे, कपड़े और खालों, लोहे और इस्पात, जूट और तेलहनों पर स्थानीय बिक्री कर की दरों को 3 प्रतिशत तक की उच्चतम सीमा के अन्दर फिर से निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा । यदि सभी राज्य अपने स्थानीय बिक्री कर की दर को 1 जुलाई, 1966 की उल्लिखित तारीख से 3 प्रतिशत की अनुज्ञात्मक उच्चतम सीमा तक निर्धारित कर दें, तो इससे उनको अगले वित्त वर्ष में 7.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । लेकिन पूरे वर्ष में इससे अतिरिक्त राजस्व के रूप में 15 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

64. अब मैं अपने बजट प्रस्तावों के प्रभाव का सारांश बताऊंगा । उत्पादन शुल्कों के प्रस्तावित परिवर्तनों से 52.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें से राज्यों के हिस्से की रकम 10.07 करोड़ रुपया होगी । इस तरह, केन्द्रीय बजट में 42.79 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । व्यक्तिगत करों में किये गये परिवर्तनों के वास्तविक प्रभाव के रूप में राजस्व में 22.14 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी । निगम करों (कारपोरेट टैक्सेशन) से, लाभांश (डिवीडन्ड) कर और अधिकर (सर टैक्स) के सम्बन्ध में दी गयी रियायतों और बोनस शेयरों पर लगने वाले कर की समाप्ति को हिसाब में लेने के बाद, राजस्व में 36.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी । अन्तर्राज्यीय बिक्री करों के जिन परिवर्तनों का मैंने जिक्र किया है, उनसे केन्द्र को 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी । इस तरह, कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से, राजस्व के रूप में, कुल 101.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी । पूंजी खाते में, वार्षिकी जमा पत्रों से होने वाली प्राप्ति में 9.39 करोड़ रुपये की कमी होगी । इस तरह, 117 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए, 92 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त साधन प्राप्त होंगे जिस से सब मिलाकर 25 करोड़ रुपये की कमी रह जायगी ।

65. लेकिन, माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर जायगा कि जिन परिवर्तनों के लिए मैंने प्रस्ताव किए हैं उनसे राज्यों के साधनों में भी काफी हद तक वृद्धि होगी । केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से उनके हिस्से के 10.07 करोड़ रुपये और मृत सम्पत्ति शुल्क के सम्बन्ध में 69 लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति के अलावा, बिक्री कर के सम्बन्ध में मैंने जिन दो परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है उनसे उन्हें पूरे एक वर्ष में 34 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

66. अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि परिस्थितियों से बाध्य होकर मुझे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त साधन जूटाने के प्रस्ताव करने पड़े हैं । बजट सम्बन्धी जिस आधारभूत स्थिति के साथ चालू वित्त-वर्ष का अन्त हो रहा है, वह स्वयं बहुत सन्तोषजनक नहीं है । केवल इसी बात से आयोजना और गैर-आयोजना दोनों के खर्च पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता हुई है । इसके साथ ही रक्षा, विकास और सुखापीड़ितों की सहायता के सम्बन्ध में भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी उपेक्षा करना खतरे से खाली न होगा । फिर भी, अतिरिक्त भार को बांटने में मैंने इस बात का यत्न किया है कि इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर न्यायोचित रूप से पड़े और ज्यादा बोझ वहां पड़े जहां उसे अच्छी तरह से उठाया जा सकता है । मैंने बहुत सी राहतों और परिवर्तनों का भी प्रस्ताव किया है, जिनका उद्देश्य कर के ढांचे को काफी सरल बनाना है और जिससे, मुझे आशा है, व्यवस्थित विकास के लिए पहले से अच्छा वातावरण तैयार हो सकेगा । माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि अपने बजट प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे चाहिए तो यह था कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से बिल्कुल बचता और बजट में कुछ अधिशेष की व्यवस्था करता । पर, यदि मैंने 25 करोड़ रुपये के घाटे को यों ही छोड़ दिया है, तो इसका कारण मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि और अधिक मात्रा में साधन जूटाने से उद्देश्य ही विफल हो जायगा, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि करने और आत्म-विश्वास को फिर से जगाने में, जिनकी इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है, बाधा पड़ेगी। महोदय, मैं बजट पेश करने का अपना यह कार्य आप और इस सम्मानित सभा के साथ, आशा की इस भावना में सम्मिलित हुए बिना पूरा नहीं कर सकता कि हम सब एक साथ हैं और अपने राजस्व सम्बन्धी वातावरण को पहले से अच्छा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं । महोदय, मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिक को—वह जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेत में या खलिहान में, कारखाने में या कर्मशाला में, दफ्तर में या संसद में—गम्भीरतापूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वह इस सभा के हम सब लोगों के साथ, ऐसे भारत का निर्माण करने में मिल जुल कर हाथ बटाये, जो पहले से अधिक समृद्ध और सुखी हो और वास्तविक रूप में भय और अभाव से मक्त हो ।

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण-क

राजस्व बजट

(करोड़ रुपयों में)

	बजट 1965–66	संशोधित 1965–66	बजट 1966–67
प्राप्तियां			
सीमा-शुल्क	419.50*	531.20	560.00 +0.52**
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	819.19*	861.35	969.70 +42.27***
निगम कर	371.60	330.00	340.00 +36.07**
आय सम्बन्धी कर	291.50	260.00	270.00 +24.45**
मृत सम्पत्ति शुल्क	7.40	7.00	7.40 + 0.70**
सम्पत्ति कर	13.50	14.00	14.00
व्यय कर	1.55	0.75	0.75 −0.60**
दान कर	3.10	3.00	3.00 −1.71**
अन्य शीर्षक	23.87	24.76	26.47 + 0.50**
ऋण व्यवस्था	296.73	316.46	360.62
प्रशासनिक सेवाएं	9.51	9.36	9.45
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	23.57	24.19	22.56
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	0.13	0.12	0.12
लोक निर्माण कार्य आदि	3.94	4.22	4.15
परिवहन और संचार	6.75	8.20	8.45
मुद्रा और टकसाल	61.69	62.55	64.94
विविध	25.47	26.69	19.07
अंशदान और विविध समायोजन	34.81	35.07	43.34
असाधारण मदें	60.50	80.72	30.66
घटाइये—आयकर में से राज्यों का दिया जाने वाला अंश	−121.27	−123.34	−130.45
घटाइये—मृत सम्पत्ति शुल्क में से राज्यों को दिया जाने वाला अंश	−7.17	−6.79	−7.11 −0.69**
जोड़	2345.87	2469.51	2617.12 +101.51**

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण-क

राजस्व बजट

(करोड़ रुपयों में)

	बजट 1965–66	संशोधित 1965–66	बजट 1966–67
व्यय			
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	28.88	29.64	30.84
ऋण व्यवस्था	356.11	372.61	414.83
प्रशासनिक सेवाएं	91.36	92.21	110.08
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	184.66	177.73	195.57
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	1.98	1.90	2.03
लोक निर्माण कार्य आदि	22.98	21.77	23.83
परिवहन और संचार	10.62	10.94	10.94
मुद्रा और टकसाल	16.40	17.03	17.82
विविध	116.27	127.36	152.35
अंशदान और विविध समायोजन—			
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	327.11	334.95	396.30
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	140.84	145.92	212.75
अन्य व्यय	4.69	4.82	5.02
असाधारण मदें	65.84	81.48	37.38
रक्षा-सेवाएं (वास्तविक)	748.74	769.06	797.67
जोड़	2116.48	2187.42	2407.41
कमी (−)	+229.39*	+282.09	+209.71
अधिशेष (+)			+101.51**

*इसके अतिरिक्त, वित्त संख्या (2) अधिनियम, 1965, के द्वारा जो व्यवस्था की गयी थी, उससे सीमा शुल्कों के अन्तर्गत 80.33 करोड़ रुपये और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के अन्तर्गत 25.92 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान था, जिनका कुल जोड़ 106.25 करोड़ रुपया होता है। इससे राजस्व खाने का अधिशेष बढ़ कर 335.64 करोड़ रुपये हो जाता है।

**बजट प्रस्तावों का प्रभाव।

**†इसमें, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों को दिये जाने वाले उनके हिस्से की 10.07 करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में से घटा दिया जाता है।

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण-ख

पूंजी बजट

[करोड़ रुपयों में]

	बजट 1965–66	संशोधित 1965–66	बजट 1966–67
प्राप्तियां			
राजस्व अधिशेष	229.39*	282.09	209.71 +101.51**
सरकारी ऋण :			
भारत में लिया जाने वाला	270.00	286.37	284.00
अस्थायी ऋण [राजकोष हुंडियों से भिन्न]	..	53.57	−1.21
विदेशों में लिया जाने वाला :			
पी० एल० 480 ऋणों से भिन्न ऋण	588.86	536.90	459.85
पी० एल० 480 ऋण	80.00	80.00	325.00
ऋणों और अग्रिमों का परिशोध :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	273.69	281.64	288.00
अन्य	60.00	61.00	82.00
छोटी बचतें (वास्तविक)	135.00	134.90	135.00
भविष्य निधियां [वास्तविक]	54.66	55.05	57.66
आयकर वार्षिकी जमा (वास्तविक)	65.00	45.40	44.40 −9.39**
पी० एल० 480 सम्बन्धी जमा रकमें (वास्तविक)	191.00	150.00	−119.00
विशेष विकास निधि (वास्तविक)	143.16	109.74	349.12
रेल तथा डाक तार निधियां (वास्तविक)	48.23	37.80	26.57
अन्य ऋण, जमा आदि (वास्तविक)	27.25	48.40	19.48
जोड़	2166.24	2162.86	2160.50 +92.12

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण-ख

पूंजी बजट

(करोड़ रुपयों में)

	बजट 1965–66	संशोधित 1965–66	बजट 1966–67
व्यय			
पूंजीगत व्यय :			
असैनिक	359.73	372.37	301.93
रक्षा	130.05	119.33	120.60
रेलें	240.00	239.89	180.60
डाक और तार	32.83	29.99	24.25
ऋण-परिशोध :			
भारत में लिये जाने वाले	170.00	173.00	192.60
विदेशों में लिये जाने वाले	97.29	96.44	120.59
ऋण और अग्रिम :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	703.46	823.38	666.93
अन्य	349.94	393.46	345.00
जोड़	2083.30	2247.86	1952.50
घटाइये—विशेष विकास निधि में ऋण सहायता का सांकेतिक अन्तरण	80.00	80.00	325.00
कुल व्यय	2163.30	2327.86	2277.50
सम्पूर्ण कमी (–)	+2.94	–165.00	–117.00
अधिशेष (+)			+82.12**

*जैसाकि विवरण 'क' के नीचे बताया गया है, यह बढ़ कर 335.64 करोड़ रुपया हो जायगा।

**बजट प्रस्तावों का प्रभाव

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966